संपादकीय

साम्प्रदायिकता और जातिवाद के खिलाफ सख्त संघर्ष की जरूरत

गत 25 मार्च 1981 को श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के 50वें शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने शहीद विद्यार्थी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि विद्यार्थी जी ने साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि साम्प्रदायिकता और जातिवाद इस समय बड़े जोरों से सर उठा रहा है और इन बुराइयों के खिलाफ बड़े जोरों से संघर्ष करने की जरूरत है।

वास्तव में साम्प्रदायिकता हमारे देश में सदियों से जड़ जमाये हुए है और अब जातियता का भी जोरों से उदय हुआ है। अपनी इन कमजोरियों के कारण ही हम विदेशी आक्रमणकारियों से पददलित होते रहे हैं और सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे। यदि हम फिर इन बुराइयों को अपने गले लगाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य अन्धकारमय है। हमें समय रहते चेत जाना चाहिए और आज जरूरत है कि हम अतीत के इतिहास पर नजर डालें और उससे सबक लें।

हम अपने सुदूर अतीत में झांकते हैं तो ज्ञात होता है कि भारत सदियों से अनेक जातियों, नस्लों, सम्प्रदायों और मत-मतान्तरों का देश रहा है। यहां विभिन्न संस्कृतियां फली-फूलीं और विभिन्न संस्कृतियों का समागम हुआ। यहां पहले भी अनेक भाषाएं बोली जाती थीं और आज भी यहां के निवासी अनेक भाषाएं बोलते हैं। पर वैदिक काल से ही इस विविधता के बीच एकता की निर्झरिणी बहती रही है। वेद में कहा गया है:—

जनं बिभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथ्वी यथौकसम्।
सहस्रधारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रुवेवधेनुरनपस्फुरन्ती। (अथर्ववेद)

पृथ्वी माता तरह-तरह की भाषाएं बोलने वाले और तरह-तरह के धर्म और मजहबों को धारण करने वाले लोगों को उसी तरह धारण करती है जिस तरह एक घर में भाई-भाई रहते हैं। हमें यह धनधान्य की सहस्रधाराएं प्रदान करे जैसे गौमाता निश्चल होकर अपने दुग्धामृत की धाराओं से हमें कृतार्थ करती है।

आज हमारे देश में एक नई राष्ट्रीयता का उद्भव हुआ है। पर हमारी यह राष्ट्रीयता भारतीय संस्कृति तथा राजनीतिक परम्पराओं के अनुकूल है। हमारे पुराणों में समुद्र से उत्तर तथा हिमाचल से दक्षिण में अवस्थित सम्पूर्ण प्रदेश को भारत के नाम से पुकारा जाता है और इस प्रदेश के सभी निवासियों को बिना नस्ल, जाति, धर्म, सम्प्रदाय आदि के भेद-भाव के भारत की "सन्तति" माना है। हजारों वर्षों के इतिहास में हमारे लोगों की यही लक्ष्य-साधना रही है कि हम विविधताओं के पीछे छुपे एकात्म तत्व को पहचान सकें। हमारे तत्वदर्शी ज्ञानी विशाल ब्रह्मांड की विविधताओं में व्याप्त एकात्म के दर्शन करने को उत्सुक रहे हैं। यही कारण है कि हमारी संस्कृति और जीवन दर्शन संश्लेषात्मक और समन्वयात्मक रहे हैं। सर्वभूत समभाव तथा सर्व-धर्म-समभाव हमारे तत्व दर्शन के मूलमन्त्र हैं। हम अपनी राजनीतिक राष्ट्रीयता को भारतीय संस्कृति और दर्शन की इसी परिकल्पना के आधार पर सुदृढ़ कर सकते हैं। □

मज़दूर मंज़िल

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत बिजनेस मैनेजर, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक कुरुक्षेत्र (हिन्दी), ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

●

एक प्रति 1 रु० : वार्षिक चंदा 10 रु०

●

दूरभाष : 382406

सम्पादक : महेन्द्र पाल सिंह

उपसम्पादक : राधे लाल

आवरण पृष्ठ : परमार

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण पुनर्निर्माण का प्रमुख मासिक

वर्ष 26 वैशाख—ज्येष्ठ 1903 अंक 7

इस अंक में : पृष्ठ संख्या

पूसा इंस्टीट्यूट में किसान मेला 2
श्रीमती गीता शर्मा

ग्रामीण विकास में युवकों का योगदान 5
श्याम बिहारी सहाय

फसल बीमा योजना 7
ज्ञानेन्द्र प्रसाद जैन

ग्रामीण बच्चे 9
कंचन देवी

हरियाणा में बारानी खेती : अनुसंधान और उपलब्धियां 11
गंगा शरण सैनी

आलू की खेती और स्वादिष्ट व्यंजन 13
डा० वीरेन्द्र कुमार खुल्लर

बकरी पालन एक लाभदायक धन्धा 16
रूपनारायण काबरा

परम्परा से चले आ रहे अन्धविश्वास 18
शकुन्तला धवन

श्री जवाहरलाल नेहरु और सहकारी आंदोलन 19
जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी

तपस्या (कहानी) 22
शीतांशु भारद्वाज

और शहनाई बज उठी (रूपक) 25
मदन मोहन 'कमल'

स्थायी स्तम्भ

कविता : साहित्य समीक्षा : केन्द्र के समाचार आदि।

प्रधानमंत्री द्वारा मेले का उद्घाटन

पूसा इंस्टीट्यूट में किसान मेला

श्रीमती गीता शर्मा

बौने गेहूं, सरसों, चना, मटर और अरहर की झूमती हुई फसलों के बीच कृषि अनुसंधानों की झलक दिखाने के लिए लगाए गए भिन्न-भिन्न स्टालों और लगभग 15 राज्यों से आए हुए किसानों की चहल-पहल के साथ भारत के सबसे प्राचीन अनुसंधान संस्थान पूसा इंस्टीट्यूट में कृषि-विज्ञान मेला प्रारम्भ हुआ। इस मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, जिनका स्वागत करते हुए केन्द्रीय कृषि मंत्री राव विरेन्द्र सिंह जी ने किसानों को याद दिलाया कि कुछ समय पहले ही गन्ने के ठीक भाव न होने की वजह से उन्हें गन्ने के खेत जलाने पड़े थे, उनके आलू बिना खोदे ही सड़ गए थे। आज गन्ना 23-24 रुपये तक प्रति क्विंटल के भाव पर खरीदा जा रहा है और धान और गेहूं की भी उनको अच्छी कीमतें मिल रही हैं। किसानों में खुशहाली लाने के लिए किए गए वैज्ञानिक प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए कृषि मंत्री जी ने कहा कि कृषि वैज्ञानिक लगातार नई-नई खोजों में लगे हुए हैं। अधिक उपज देने वाले नए-नए बीज, जल्दी पकने वाली फसलें, यहां तक कि खाद के खर्चे में बचत करने के लिए जीवाणुओं से खाद का काम लेने, धान के खेतों में नीली-हरी काई से खाद की बचत करना, यह सब ऐसी नई खोजें हैं, जिनका किसानों को बहुत फायदा होगा और अरबों रुपये की विदेशी मुद्रा बचेगी, जो हमें विदेशों से रासायनिक खाद मंगाने पर खर्च करनी पड़ती है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के विभिन्न संस्थानों में काम कर रहे वैज्ञानिक जिस तरह से नई-नई खोजों में लगे हुए हैं, उनके इस्तेमाल से किसान अपनी जिन्दगी में खुशहाली लाने और स्वाभिमान के साथ जीवन बिताने के काबिल हो जाएंगे।

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के विभिन्न भागों से आए किसानों का

गोबर गैस पर पक रहे भोजन के पंडाल में प्रधानमंत्री

स्वागत करते हुए उनको शाबाशी दी कि यह उनकी मेहनत और पसीने का फल है कि खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में हमारा देश आत्मनिर्भर हो सका। उन्होंने बताया कि अकेले वैज्ञानिक खोजों, या नये बीजों या सिंचाई के नए-नए साधनों, रासायनिक खादों और कृषि यंत्रों से कृषि क्रांति नहीं आई, इसमें सबसे बड़ा योग किसानों का रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सबसे प्रमुख संस्थान पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कार्य की सराहना करते हुए श्रीमती गांधी ने कहा कि यहां पर खासतौर पर खाद और ऊर्जा की बचत के लिए उपयोगी खोजें की जा रही हैं, जिनका किसान भाइयों को इस्तेमाल करना चाहिए। तालाब और नदियों में पानी को सड़ाने वाली जलकुंभी से हमारे वैज्ञानिकों ने खाद बनाई है, चारा बनाया है, यहां तक कि गैस तक तैयार की है। सूरज को ऊर्जा के इस्तेमाल पर भी हमारे वैज्ञानिक ध्यान दे रहे हैं। सूरज, हवा और पानी इन तीनों की ताकत का ज्यादा उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा को लेकर अक्सर यह कहा जाता है कि यह महंगी पड़ती है, लेकिन अब जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे सौर ऊर्जा का महत्व और भी बढ़ गया। प्रधानमंत्री ने किसान भाइयों का ध्यान इस ओर खींचा कि खेती के लिए जंगल कटते हैं तो उससे मौसम पर और खेती पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि खेती के साथ-साथ पेड़ भी लगाए जाएं। उन्होंने बताया कि अफ्रीका के देशों में जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है उसके नाम से एक पेड़ लगा दिया जाता है, जिसकी सारी कमाई उसी बच्चे को मिलती है, चाहे वह कहीं भी रहे। उन्होंने कहा कि हमारे देश में भी हर एक बच्चे के लिए एक पेड़ लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कुछ लोगों के इस भ्रम को बे-बुनियाद बताया कि निरक्षर होने के कारण किसान नए विचार नहीं अपनाते उन्होंने कहा कि भले ही उन्हें अक्षर-ज्ञान नहीं है, लेकिन दुनियादारी की बातों को जानने के लिए हमारे किसान किसी से भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने विज्ञान की नई खोजों को अपनाने में कभी कम दिलचस्पी नहीं दिखाई। 'इन संस्थानों में जो नई जानकारी निकाली जाती है, नई खोजें होती हैं, जो नए विचार पनपते हैं, मुझे उम्मीद है कि दूर-दूर से आए किसान भाई उन्हें खुद भी सीखेंगे और अपने गांव और खेतों पर अपनाकर दूसरों को भी सिखाएंगे।' किसानों की कठिनाइयों का जिक्र करते हुए श्रीमती गांधी ने कहा कि सारा देश कठिनाई के दौर से गुजर रहा है, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा ध्यान किसानों की कठिनाइयों का है। वे चाहती हैं कि जो फसल किसान इतनी मेहनत से पैदा करता है, उसकी उन्हें पूरी-पूरी कीमत मिले और वह उन लोगों तक पहुंचे जिनको उनकी जरूरत है, हमें सिर्फ भर पेट रोटी पर ही नहीं, इस बात पर भी ध्यान देना है कि बच्चों को हरी साग-सब्जियां मिलें, ताकि विटामिन 'ए' की कमी की वजह से वे अंधे

न हों। सब को अधिक पोषण मिले, सब अधिक तन्दुरुस्त बनें। पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों को किसान मेलों का आयोजन करने के लिए बधाई देते हुए श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इच्छा प्रकट की कि ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि साल भर ऐसी प्रदर्शनी लगी रहे, ताकि लोग आ-आकर देखते रहें और सीखते रहें। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि देश के भिन्न-भिन्न भागों में इस तरह के मेले लगाए जाएं, ताकि प्रयोगशालाओं में हो रही नई से नई जानकारी किसानों को सीधे पहुंचे।

प्रधानमंत्री तथा अन्य आगंतुक महानुभाव तथा किसानों को धन्यवाद देते हुए पूसा इंस्टीट्यूट के प्रसार कार्यक्रम के संयुक्त निदेशक डा० के० एन० सिंह ने इस संस्थान के 75 वर्ष पूरे होने के अभूतपूर्व अवसर पर इस कृषि विज्ञान मेले के खास महत्व की ओर संकेत किया। उन्होंने बताया कि एक दिन मेले में महिला-गोष्ठी होती है और एक दिन स्कूली बच्चों को बुलाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस बार मेले में ऊर्जा के ऐसे साधनों पर बल दिया गया, जिन्हें फिर से काम में लाया जा सकता है और जो कोयला या पेट्रोल की तरह इस्तेमाल करने से खत्म नहीं हो जाते। पहाड़ों झरनों, हवा और सूरज की ऊर्जा और गोबर-गैस जैसे साधनों के इस्तेमाल के अनेक तरीके मेले में दिखाए जा रहे हैं।

इस मेले में गेहूं की तीन नई किस्मों के खेत प्रदर्शित किए गए। ये किस्में हैं—एच० डी० 2204, एच० डी०-2278 और एच० डी०-2281, एच० डी०-2204 उत्तर-पश्चिमी मैदानों के लिए, एच० डी०-2278 मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र तथा राजस्थान के उदयपुर और कोटा क्षेत्र के लिए तथा एच० डी०-2281 उत्तरी मैदानों के लिए उपयुक्त पाई गई हैं।

धान की जिन नई विकसित किस्मों ने अधिक आशा जगाई है, वे हैं पूसा 150, पूसा-167, पूसा-169 और पूसा-204। ये किस्में कम से लेकर मध्यम अवधि की हैं और 120 से 125 दिन में पक जाती हैं। ये धान-गेहूं फसल-चक्रों के लिए विशेष उपयुक्त हैं। पूसा-150 और पूसा-167 के दाने महीन हैं और इनमें बासमती चावल की अन्य विशेषताएं भी पाई जाती हैं।

चने की पूसा-212 नामक किस्म विकसित की गई है, जो कि उकठा-रोधी है और इसे गुजरात और राजस्थान के उन क्षेत्रों में खासतौर पर उगाया जा सकता है, जहां उकठा रोग के कारण चने की फसल को भारी नुकसान पहुंचता है।

अरहर की 150 से 160 दिन की कम अवधि में पकने वाली किस्में विकसित की गई हैं, जिन्हें अरहर-गेहूं फसल-चक्र में शामिल किया जा सकता है। इनमें से पूसा-74, पूसा-78 और पूसा-84 ने दिल्ली क्षेत्र के देहातों के किसानों के खेतों पर किए गए प्रयोगों में इन किस्मों से 20 से लेकर 25 क्विटल प्रति हैक्टेयर तक उपज दी है।

बाजरे की फसल खासतौर से पाउडरी फफूंद की बीमारी की वजह से किसानों को काफी नुकसान पहुंचाती रही है। पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने "बी० एम० 46" व "सी० एम० 46" नामक दो संकर विकसित किए जो पाउडरी फफूंद रोग के प्रति रोधिता प्रदर्शित करते हैं और बाजरे के वर्तमान संकरों की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

तेल की समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने सरसों की एक नई किस्म विकसित की है, जिसका नाम है "पूसा बोल्ड"। मेले में इसकी फसल देखने लायक थी। इसके दानों में 40 से 45 प्रतिशत तक तेल होता है और यह प्रति हैक्टेयर 20 से 25 क्विंटल उपज देती है।

संकर बाजरे की तरह संकर मक्का में भी कुछ बीमारियों की वजह से पैदावार कम मिलती रही है। अब 'गंगा-9' नामक संकर मक्का विकसित की गई है जो हिमालय और गंगा के मैदानी क्षेत्र दोनों में अधिक पैदावार देती है। यह और 'गंगा-5' 'हिम-123' से 12 से 15 प्रतिशत तक अधिक उपज देती है।

मेले में पूसा संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा वर्षों तक परीक्षणों के बाद चुने गए फसल चक्र भी प्रदर्शित किए गए। इसमें (1) धान-गेहूं-मूंग/लोबिया (2) गेहूं-मूंग/लोबिया, (3) अरहर-गेहूं-मूंग, (4) दानों के लिए मक्का-फलियों के लिए मटर-मूंग, (5) अरहर-उड़द-गेहूं-मूंग, (6) उड़द-सरसों/जौ-मूंग, (7) ज्वार-बरसीम/जई-मक्का-लोबिया हैं। इन फसल-चक्रों में यह देखा गया है कि मक्का और ज्वार जैसी फसलों के साथ उड़द, मूंग और लोबिया को मिलवां फसल के रूप में उगाने से मक्का और ज्वार की मुख्य फसल की भी पैदावार बढ़ गई है। दाल वाली फसल बोनस में मिल जाती है और अगली गेहूं की फसल के लिए भी अधिक उपजाऊ जमीन तैयार हो जाती है।

बारानी क्षेत्रों के लिए खरीफ, अरण्डी और अरहर और रबी, कुसुम और सरसों सब उपयोगी पाई गई हैं। बारानी क्षेत्रों में भी जल्दी पकने वाली फसलों को उगाकर साल में दो फसलें लेना संभव है। इन क्षेत्रों में सरसों के बाद मूंग और लोबिया की फसल ली जा सकती है।

मेले में फल वाली फसलों में अधिक पैदावार लेने के उपाय बताने के साथ फसलों की सुरक्षा के भी नए साधनों पर रोशनी डाली गई। नए कृषि-चक्र प्रदर्शित किए गए और यह भी दिखाया गया कि किस तरह नजफगढ़ विकास खंड के रथ, बामनौली और पूठनपुर गांवों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा चलाए गए "प्रयोगशाला से खेत" कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे और बहुत छोटे 500 किसान परिवारों में मुर्गी-पालन और पशु-पालन के साधन अपनाना सिखाकर अपने पैरों पर खड़ा होने के योग्य बनाया गया। मेले में भाग लेने के लिए आए हुए किसानों के लिए विविध फसलों की नई कृषि विधियों की जानकारी देने वाले अंग्रेजी में 40 और हिन्दी में 80 पर्चे भी बांटे गए। □

बी-38, कृषि विहार
नई दिल्ली-110048

ग्रामीण विकास में युवकों का योगदान

श्याम बिहारी सहाय

युवक समाज का ऐसा अंग हैं जिनमें काम के लिए उत्साह एवं क्षमता विशेषकर सामुदायिक कार्य के लिए औरों से अधिक है। अतएव युवा वर्ग का योगदान विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। युवा शक्ति को यदि रचनात्मक दिशा दी जाए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है।

ग्रामीण युवकों को विकास के संदर्भ में तीन-तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं :—

1. ग्रामीण युवक जो पढ़ लिख कर ग्राम में हैं, और जिन्हें नौकरी की तलाश है, बेकार बैठे हैं तथा नौकरी पाते ही ग्राम छोड़कर शहर की ओर भागते हैं।
2. ग्रामीण युवक जो पढ़ लिखकर अंशतः खेतीबाड़ी में अपने घरवालों को सहायता देते हैं, शेष समय या तो नौकरी की तलाश में रहते हैं या अन्य व्यावसायिक कार्यों से अपना भरण-पोषण करते हैं।
3. ग्रामों में एक अन्य प्रकार के युवक हैं जो खेतिहर मजदूर परिवारों के हैं जो कुछ पढ़े-लिखें हैं किन्तु उनके पास अपनी जगह-जमीन नहीं है जिससे वे अपना जीवन निर्वाह कर सकें। ऐसे ग्रामीण युवक तीसरी श्रेणी में आते हैं।

इन तीनों श्रेणी के युवकों को विकास में किस प्रकार शामिल किया जाए। अनुभव के आधार पर मेरी समझ में ग्रामीण युवक जो पढ़ लिख कर ग्रामों में अपना समय नौकरी की तलाश में व्यतीत कर रहे हैं ग्रामीण विकास में नई दिशा दे सकते हैं। वर्तमान संदर्भ में ग्रामों में सरकार द्वारा कई प्रकार की विकास योजनाएं चलाई जा रही है जैसे, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, भूमिगत जल स्रोत कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा योजना, ट्राइसेम-स्वरोजगार कायक्रम और पंचायत समिति के विकास कार्यक्रम, पढ़े लिखे युवक जो नौकरी की तलाश में है समेकित विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामों में बैंकों की सहायता से डेयरी, छोटे उद्योग, सब्जी उत्पादन का कार्यक्रम ले सकते हैं जिसके लिए सरकार द्वारा प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है और प्रशिक्षण के बाद वे बैंकों से ऋण ले सकते हैं तथा अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। इस दिशा में कुछ युवकों द्वारा समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड में चांदचौर, मथुरापुर ग्राम में सम्पन्न कार्यक्रम सराहनीय है। वहां के युवकों द्वारा दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति स्थापित की गई तथा दूध देने वाले मवेशी की खरीदगी बैंकों से ऋण लेकर की गई तथा दूध को सहकारी एवं सरकारी माध्यम से बेचा जाने लगा।

इस योजना से प्रत्येक युवक को नए प्रकार का अनुभव हुआ तथा इसमें वे सब और ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे। युवकों के दल को देश के कोने-कोने में भ्रमण दल के साथ घूमने का अवसर दिया गया। जब वे बाहर से उन्नत तरीके से डेयरी की देखभाल करके लौटे तब वे अपने कार्य में दूने उत्साह से जुट गए। सब्जी उत्पादन में उजियारपुर प्रखंड में चांदचौर मथुरापुर में युवकों का सराहनीय योगदान देखा गया। उन लोगों ने सब्जी उत्पादन में व्यक्तिगत रूप से अपना कीर्तिमान स्थापित किया। उन युवकों को देखकर अन्य युवक भी जो कृषि पर ध्यान नहीं देते थे, इस ओर अग्रसर हुए तथा अब देखा-देखी आशातीत सफलता प्राप्त कर रहे हैं।

ग्रामीण विकास में उस गांव की महिलाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बेलामेघ शाखा में जो चांदचौर मथुरापुर ग्राम में ही स्थित है, उनसे मदद मिली है। इस बैंक ने ग्राम की महिलाओं को भी कर्ज के रूप में चर्खा सूत कातने के लिए दिया तथा वे चर्खा कात कर अपने खाली समय का प्रयोग आर्थिक उन्नति में कर रही हैं। उसी बैंक ने कंबल बुनकरों को भी ऋण दिया और वहां के युवक-युवतियां बढ़िया कंबल बनाने में लगे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गांवों में पढ़े-लिखे युवक-युवतियों को प्रशिक्षण एवं भ्रमण और अन्य प्रोत्साहनों द्वारा अच्छे कार्यों में लगाने से ग्राम का उत्तरोत्तर विकास हुआ है और सभी वर्गों के युवकों के लिए इसकी संभावना है।

पंचायत के माध्यम से गांवों के विकास में ग्राम रक्षा दल संगठन की भूमिका अपने आप में अनूठी है। यदि प्रत्येक गांव में ग्राम रक्षा दल का सही संचालन विकास की दिशा में हो तो गांवों में व्याप्त चोरी-डकैती फसल काटने वाली बात आदि का खात्मा हो जाए। नेहरू जी ने कहा था कि स्वयं दल को गांवों में तीन काम करने चाहिए। पैदावार बढ़ाना, शिक्षा और रक्षा। प्रत्येक बालिग युवक-युवती को ग्रामरक्षा दल का सदस्य होकर विकास कार्यों में सक्रिय भाग लेना चाहिए।

गांवों में पंचायत की न्यायपालिका में युवक सदस्य आदि दिलचस्पी लें तो गांवों की मुकदमेबाजी समाप्त हो जाए। ऐसा देखा गया है कि संगठित रचनात्मक प्रयासों के अभाव में गांव की गन्दी गुटबाजी एवं राजनीति के कारण न्यायपालिका पर से ग्रामीणों को विश्वास ही उठ गया है। गांव के युवक जो शहर में जाकर वकालत या अन्य कार्य करते हैं तथा छुट्टी या रविवार को घर लौटते हैं इस ओर

ध्यान दें तो काफी सुधार हो सकता है। इस दिशा में अनुभव के आधार पर मैंने देखा है कि सुखी सम्पन्न आदमी जो वकालत पास हैं, उनके सहयोग से गांव में ऐसा वातावरण बना कि उस गांव में कोई भी छोटे-मोटे झगड़े न्यायालय में नहीं जाते तथा उनका निपटारा भी गांव में ही हो जाता है। पढ़े-लिखे युवकों का पंचायत स्तर पर न्यायपालिका में सुधार कार्य सराहनीय तथा अनुकरणीय है।

इस प्रकार ग्रामीण विकास में युवकों का योगदान इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है। परन्तु ऐसा देखा गया है कि कोई उत्साही युवक जब तक गांव में है बड़ी दिलचस्पी से कार्य करता है। परन्तु जब वह किसी कारण से गांव छोड़ देता है तो विकास कार्य अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए बेहतर होगा कि गांव में युवकों को संस्था बनाकर काम करना चाहिए जिसमें रचनात्मक कार्यकर्ताओं का एक दल हो और उस दल से यदि कोई व्यक्ति चला भी जाए तो विकास कार्य पर असर नहीं पड़े। युवक मंडल और महिला मंडलों की स्थापना इस दिशा में अच्छा प्रयास है। इस दिशा में प्रत्येक प्रखंड से प्रत्येक गांव के पांच या दस युवक मिलकर और एक संस्था बनाकर ऐसी गतिविधि शुरू करें जिसकी वे खुद आवश्यकता अनुभव करें। सरकार द्वारा भी इस दिशा में प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, जो उन ग्रामीण युवकों तथा गांवों के अनुरूप हो। अगर संभव हो तो इन युवकों को उन स्थानों पर ले जाया जाए जहां ऐसे कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहे हैं। सदस्यों को एक दूसरे के अनुभव सुन कर और अपनी आंखों होता हुआ काम देखकर लाभ पहुंचेगा। इस योजना को सफल बनाने का एक और तरीका है कि समय पर सम्मेलन आयोजित किए जाएं। इस कार्यक्रम में सूचना, जनसंपर्क और लोक प्रशिक्षण से सम्बन्ध संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

कायापलट

होशंगाबाद जिले के निम्साड़िया गांव के सात निर्धन भूमिहीन कृषक मजदूरों ने सहकारी जीवन अपना कर लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है।

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों और बंधुआ मजदूरों की सहायता के लिए वर्ष 1975-76 में जगह-जगह विकास कार्यक्रम हाथ में लिए गए। उसी तारतम्य में होशंगाबाद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्यालय और तमाम शाखाएं खुलीं। 1976 में इस बैंक की एक शाखा निम्साड़िया नामक छोटे से गांव में भी खुली। जब यह बैंक इस गांव में खुला तो गांव के कुछ भूमिहीन गरीब मजदूरों ने बैंक की सहायता लेकर अपने जीवन में काया पलट का निश्चय किया।

आर्थिक और सामाजिक रूप से विपन्न सर्वश्री श्रीराम, भागचंद, राम भरोसे, किशन, हरीराम, वल्द सीताराम, मुखाराम, और हरीराम वल्द भगवान के पास न तो कोई अपनी जमीन थी और न ही कोई धंधा। वे बड़े पटेलों के यहां मजदूरी करते किन्तु फिर भी उन्हें भरपेट भोजन नसीब नहीं होता था।

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंक के विकास विभाग ने एक सर्वेक्षण के दौरान इन सात युवकों को सहायता के लिए चुना, क्योंकि कुछ भी न होते हुए इनमें मेहनत करके ईमानदारी से पैसा कमाने की ललक थी। बैंक ने इनको एक समूह में एकत्रित कर बिना किसी गारंटी के फरवरी, 1976 में प्रत्येक को तीन सौ रु० का कर्ज दिया ताकि ये लोग नर्मदा की रेत पर खरबूजे की खेती कर सकें। इन सातों ने जमकर मेहनत की और भरपूर फसल उगाई। शीघ्र ही सभी ने अपना-अपना कर्ज बैंक को चुका दिया। फिर अगस्त, 1976 में बैंक ने इनको खेती के लिए पांच सौ रुपया से लेकर आठ सौ रुपये तक के ऋण हरेक को दिए। इन लोगों ने मिलकर खेतों के छोटे-छोटे टुकड़े बड़े किसानों से एक-एक फसल के लिए कच्चे पट्टे पर लेकर खेती की। इसमें भी उनको सफलता मिली। दिसम्बर, 1976 में इन सभी ने सारा कर्ज चुका दिया और रबी की फसल के लिए पुनः ऋण लेने हेतु आवेदन किया।

इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने इन सातों व्यक्तियों का तो जीवन ही बदल दिया। बैंक इनको वर्ष में तीन बार कर्ज देता है। हर बार कर्ज की राशि बढ़ती जाती है, क्योंकि हिम्मत से काम बढ़ाया है इन्होंने। अब इनमें प्रत्येक को बारह सौ रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक की राशि दी गई है। मेहनत और ईमानदारी से काम करते हुए धीरे-धीरे सातों व्यक्ति तरक्की कर रहे हैं। इनमें से प्रायः सभी के पास एकाध एकड़ जमीन खुद की हो गई है। जमीन भी ऐसे गांव में जहां एक एकड़ जमीन की कीमत दस से बारह हजार रुपयों के बीच है।

ये सातों किसान अब न तो किसी महाजन के कर्जदार हैं और न किसी की गुलामी करते हैं। सबने स्वतन्त्र रूप से समाज में सम्मानजनक स्थान बना लिया है। इन्हें विश्वास है कि धीरे-धीरे ये लोग बैंक से भी कर्ज लेना बंद कर देंगे और स्वयं के साधनों पर निर्भर होकर खेती करेंगे। अपने परिश्रम और अध्यवसाय से इन सातों युवकों ने गांव के नवयुवकों को एक नई राह दिखाई है। □

आमतौर पर ग्राम के युवकों को ज्यादा पूछा नहीं जाता है। केवल कुछ छोटे-छोटे प्रयोगों में ही उनको साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम परियोजनाओं में साथ लिया जाता है। पर इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर विकास कार्यक्रमों में युवकों को बढ़ावा दिया जाए तो इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे।

फसल बीमा योजना

ज्ञानेन्द्र प्रसाद जैन

शहर की किसी दुकान में आग लग जाए या दुर्घटना में किसी की मोटर क्षतिग्रस्त हो जाए या चोरी चली जाए तो उसके हमदर्द सबसे पहला सवाल उससे यह पूछते हैं कि क्या आपने उसका बीमा कराया था ? यदि जवाब हां में मिलता है तो उन्हें तसल्ली होती है कि उनके मित्र या रिश्तेदार को यदि पूरा नहीं तो काफी रुपया मुआवजे का मिल जाएगा जिससे वह अपने नुकसान की भरपाई कर लेगा ।

गांव के किसी किसान की फसल ओले या सूखे से मारी जाए तो सब जानते हैं कि उसकी फसल का बीमा नहीं हुआ और समूचा नुकसान उसी को सहना होगा । सरकार ज्यादा से ज्यादा इस फसल की या तो मालगुजारी माफ कर देगी या स्थगित कर देगी या फसल उगाने के लिए उसने जो कर्ज सहकारी या व्यावसायिक बैंक से लिया था उसके लौटाने की अवधि बढ़ा दी जाएगी । अर्थात् एक साल में लौटाने की बजाय वह उसे तीन-चार साल में लौटा सकेगा पर ब्याज पूरे समय का देना होगा ।

नुकसान की आधी या चौथाई भरपाई भी न होने पर किसान टूटता चला जाता है । उसे अगली फसल के लिए फिर कर्ज लेना होगा और उस फसल की कमाई से भगवान की कृपा-दृष्टि रही तो उसे न सिर्फ उस फसल के लिए लिया कर्ज ब्याज सहित लौटाना पड़ेगा, बल्कि पिछली मारी गई फसल के लिए लिया गया कर्ज और उसको ब्याज का भी कुछ अंश तक लौटाना होगा, जो वह संभव नहीं पाता । नतीजा यह होता है कि या तो वह कर्ज और ब्याज के बोझ से दबता चला जाता है, खेती को अपनी पत्नी और छोटे बच्चों के सुपुर्द कर वह मजदूरी करने या रिक्शा चलाने शहर की राह पकड़ता है ।

सूखा पड़े, बाढ़ आए, ओले बरसें, आग लगे या कोई अन्य दैवी प्रकोप हो, संकट-ग्रस्त पीड़ित किसानों के लिए राहत कार्य शुरू हो जाते हैं, पर वे किसान को शासन की ओर से सहानुभूति के रूप में मिली भीख के अलावा और कुछ नहीं होते । घरों या कारखानों में चोरी होने, आग लगने या अन्य दुर्घटनाओं के लिए बीमा हो जाता है, पर कृषि की रक्षा के लिए जिसमें 80 फीसदी लोग लगे हैं कोई व्यवस्था नहीं है । उद्योगों के लिए सस्ते पानी, बिजली और जोखिम बीमे की सुविधाएं हैं। उद्योग, युद्ध और आग से भी संरक्षित हैं। कृषि उद्योग जो भारत का सबसे बड़ा उद्योग है इन सब सुविधाओं से वंचित है । कृषि अर्थ-व्यवस्था के लिए जरूरी है कि उसमें काफी हद तक औद्योगिक विश्वसनीयता का वातावरण पैदा किया जाए। फसल बीमा योजना से किसानों की काफी हद तक रक्षा की जा सकती है ।

इसलिए बार-बार हमारे देश में सवाल उठता रहता है कि मकान, दुकान और अन्य व्यापारिक सामान की तरह प्राइवेट या सरकारी बीमा कम्पनियां कृषि फसलों का भी बीमा करें और नुकसान होने पर उसकी भरपाई करें जिससे किसान फिर उभर सकें । सरकार सैद्धांतिक तौर पर फसल बीमा को ठीक मानती है और चाहती है कि कुछ अग्रगामी योजनाएं चालू हों । कुछ क्षेत्रों में सन् 1973 से लागू भी हुई हैं, पर सरकार का अनुभव है कि ये योजनाएं सरकार के लिए लाभकारी नहीं होतीं । उन्हें साकार बनाने के लिए उसे भारी रकम लगानी होती है । दो मार्च को केन्द्रीय मंत्री राव बीरेन्द्र सिंह ने लोक सभा में आंकड़े दिए कि 1978-79 में प्रयोगात्मक तौर पर तीन हजार आठ सौ हेक्टेयर का बीमा किया गया था जिसके लिए किसानों ने तीन लाख 38 हजार रुपये प्रिमीयम दिया, पर सरकार को उसी फसल में नुकसान का मुआवजा 36 लाख रुपए देना पड़ा, यानी बारह गुना । इसलिए सरकार फसल बीमा योजना के प्रति बहुत उत्साह नहीं दिखा रही है, हालांकि उसने एक सरकारी विशेषज्ञ समिति की यह रिपोर्ट अब तक मंजूर नहीं की है कि देश में फसल बीमा योजना लागू करना संभव नहीं है ।

किसान भी फसल बीमा योजना के प्रति उत्साहपूर्ण नहीं है, क्योंकि प्रीमियम देने का सवाल उठता है । बड़े और समृद्ध किसान तो पिछले साल की बचत में से प्रीमियम देने में समर्थ हैं, पर छोटे और सीमांत किसान जो बीज और खाद के लिए या सहकारी समिति में हिस्सा खरीदने के लिए भी कर्ज लेते हैं, प्रीमियम की रकम कहां से जुटा पाएंगे ? बैंकों को ही उन्हें अधिक कर्ज देने की व्यवस्था करनी होगी जो इस समय संभव दिखाई नहीं देती। दूसरी कठिनाई नुकसान आंकने की होगी । किस आधार पर नुकसान आंका जाए ? कितनी उपज अमुक खेत से मिलती थी इस आधार पर या क्षेत्रीय आधार पर ? जिनका ज्यादा नुकसान होगा वे क्षेत्रीय आधार से हर्गिज संतुष्ट नहीं होंगे ।

फसल बीमा की जरूरत आजादी के बाद से ही महसूस की जा रही है । व्यापारिक और औद्योगिक संस्थानों में बीमा व्यवस्था काफी सालों से लागू है और बीमादारों के लिए लाभकारी है । पर खेती प्रकृति पर निर्भर है, इसलिए फसल बीमा योजना जोखिम मानी गई है । अब क्योंकि अधिक उपज देने वाली किस्मों, उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से खेती की उत्पा-

दकता बड़ी है और ऐसी व्यावहारिक तकनीकें निकल आई हैं जिनसे ईश्वरीय प्रकोपों की मार कम हो जाती है, वित्तीय संस्थाएं न केवल किसानों को राहत देने के लिए बल्कि अपने पिछले कर्जों की वसूली के लिए भी किसी न किसी रूप में फसल बीमा योजना लागू करने की समर्थक हैं। फसल बीमा योजना कृषि ऋण व्यवस्था से भी जोड़ी जा सकती है जिससे मुआवजे में मिले धन का अधिक भाग कर्ज देने वाली संस्थाओं को मिल जाए।

फसल बीमा किसानों की आमदनी को कुछ हद तक निश्चित बनाकर देश की अर्थ-व्यवस्था में भी स्थिरता लाता है। किसानों की अच्छे दिनों की बचत उनके बुरे दिनों का नुकसान पूरा कर देती है। दूसरा बड़ा लाभ यह है कि कृषि में निश्चित आमदनी औद्योगिक उत्पादों की मांग बढ़ाने में सहायक होती है।

निश्चित आमदनी न होने पर छोटे और सीमांत किसान कृषि के उन्नत तरीके, उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों, रोग व कीटाणुनाशक दवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाते। फसल बीमा से उनमें उन्नतशील खेती करने की हिम्मत आएगी।

फसल बीमा योजना से इन्कार करना किसानों को भगवान के भरोसे छोड़ देना है। लेकिन योजना को लागू करने में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां भी हैं जिनका समाधान निकाले बिना योजना सफल नहीं हो पाएगी। प्रीमियम की रकम तय करने के लिए हर फसल का समान क्षेत्रों में पिछले कई सालों की औसत उपज और उसमें हुए प्राकृतिक नुकसान का लेखा-जोखा तैयार करना जरूरी होगा, जो कठिन और लम्बा काम है। छोटी-छोटी जोतों के अधिक किसानों से संपर्क करना भी योजना को सफलतापूर्वक चलाने में बाधक है। बड़ी जोतों पर नजर रखना और यह देखना कि किसान कोई गलत कृषि किया तो नहीं कर रहे आसान होता है और समय रहते नुकसान रोका जा सकता है। मिसाल के तौर पर फसल में कोई बीमारी लग जाए और कीड़ों का प्रकोप हो जाए तो बीमा कम्पनी के एजेंट किसान को रोग और कीट-रोधी उपाय बता सकते हैं, और उनसे करा सकते हैं पर बहुत किसानों से संपर्क करना मुश्किल होगा। निचले स्तरों पर शिक्षित, अनुभवी और प्रशिक्षित कर्मचारियों की बहुत जरूरत होगी। एक से कृषि क्षेत्र चुनने में भी बीमा कम्पनी को सावधानी बरतनी होगी।

इन सामान्य और अन्य कठिनाइयों के बावजूद कृषि का जिसमें देश के 80 फीसदी लोग लगे हैं, बीमा करना आवश्यक है। गुजरात में धान, मूंगफली और कपास का पांच लाख 69 हजार रुपये का बीमा किया गया और पश्चिम बंगाल में धान का 54 लाख 27 हजार रुपये का बीमा किया गया। प्रीमियम लेने और मुआवजा देने दोनों में राज्य सरकारों का चौथाई हिस्सा या प्रीमियम जमा कराने में परेशानी अनुभव हो तो फसल बीमा योजना सहकारी फसल ऋण व्यवस्था से जोड़ दी जाए यानी कर्ज देते समय सहकारी समितियां प्रीमियम की रकम काटकर बीमा कम्पनी को दे दें और नुकसान का मुआवजा मिलने पर उसका निर्धारित अंश कर्ज की अदायगी में जोड़ दें। इससे प्रशासकीय खर्च बचेगा।

फसल बीमा योजना से किसानों की काफी हद तक रक्षा की जा सकती है जो आज की तरह शासन की ओर से सहानुभूति के रूप में मिली भीख नहीं होगी, बल्कि उनका उचित हक होगा। []

(आकाशवाणी सामयिकी से साभार)

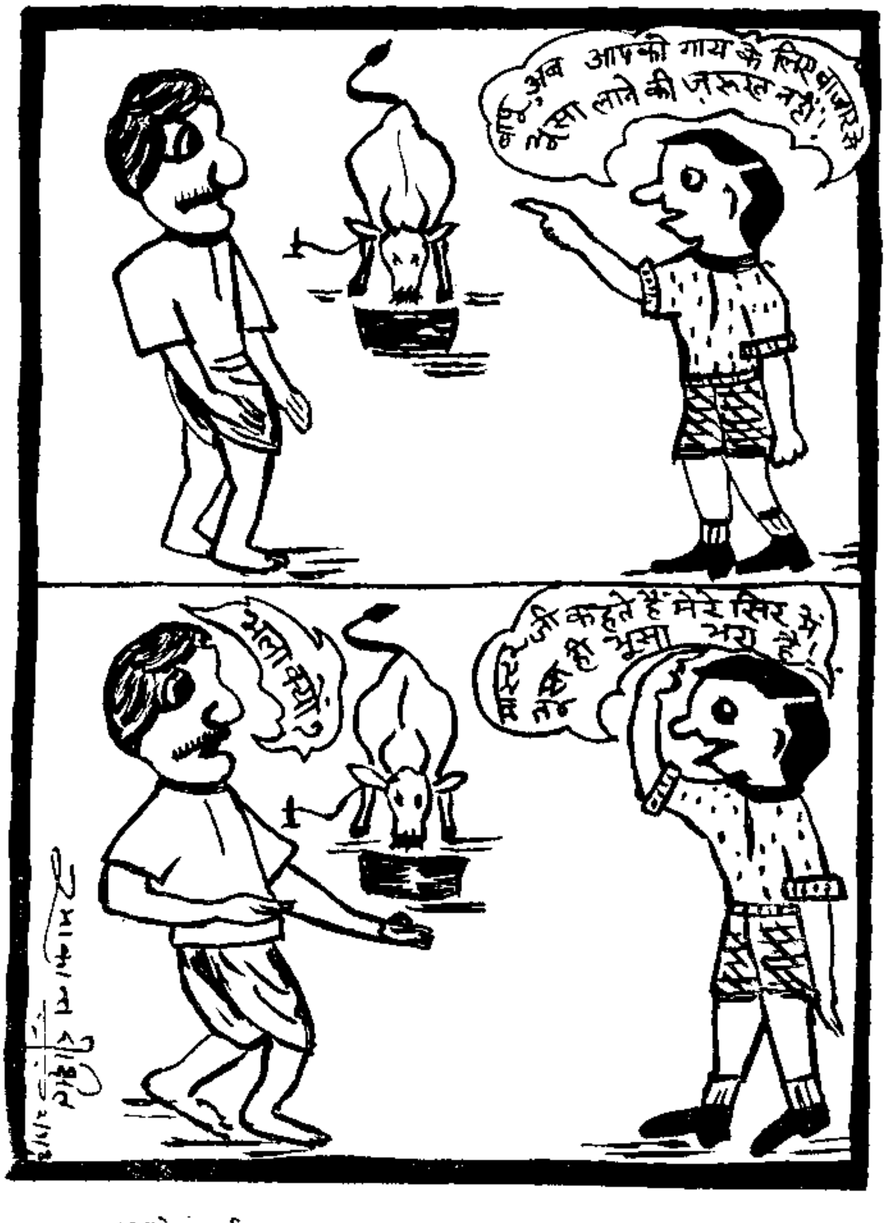

ग्रामीण बच्चे

✳ कंचन देवी

जब यह पूरी तरह सिद्ध हो गया है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक विषमता और कुपोषण आदि कारक हमारे राष्ट्र में विकलांगता की समस्या को बढ़ावा देने में सहायक रहे हैं । कोई जमाना था जबकि अपंगुता को पाप-पुण्य या पुनर्जन्म से जोड़ा जाता था, किन्तु अब यह धारणा पूर्ण रूप से असत्य सिद्ध हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुमान है कि भारत में विकलांग स्त्री-पुरुष और बच्चों की संख्या 6 करोड़ है । लेकिन देश के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार यह संख्या लगभग 2 करोड़ है । यह बड़े ही खेद का विषय है कि देश में इनकी वास्तविक संख्या के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । इस वर्ष की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध हो जाने पर इनकी सही संख्या ज्ञात हो सकेगी।

हमारे देश में 1971 की जनगणना के अनुसार 23 करोड़ बच्चे हैं जिनमें 18 करोड़ 70 लाख बच्चे, 575636 ग्रामों में निवास करते हैं । एक अनुमान के अनुसार वर्तमान समय में कम से कम 27 करोड़ बच्चे हैं जिनमें 11 करोड़ 50 लाख बच्चे 0-6 वर्ष की उम्र के हैं । इनमें 9 करोड़ 98 लाख बच्चे गांवों में एवं 82 लाख बच्चे आदिवासी क्षेत्रों में निवास करते हैं । इन बच्चों का कितना भाग अपंग है इसके बारे में आकड़े उपलब्ध नहीं हैं परन्तु यह अवश्य कहा जा सकता है कि इन बच्चों का एक बड़ा भाग शारीरिक अपंगुता एवं मानसिक दुर्बलता का शिकार अवश्य है । ग्रांट मेडिकल कालेज, बम्बई के डा० डी० पी० शाह के अनुसार देश में लगभग 10000 बच्चे प्रति वर्ष अन्धे हो जाते हैं । रायल कामन वेल्थ सोसायटी फार दी ब्लाइंड, बम्बई के निदेशक के अनुसार भारत में विटामिन 'ए' की कमी के कारण हर पांच मिनट में एक बच्चा अन्धा होता है । बच्चों में जन्म पूर्व एवं जन्म बाद के कुछ कारण ऐसे होते हैं जो विकलांगता उत्पन्न करते हैं । जन्म पूर्व की स्थिति में किसी कारणवश बच्चा जन्म से ही विकलांग होता है, जन्म बाद की स्थिति में कुपोषण एवं समय से रोग निरोधक टीके न लग पाने के कारण बच्चा विकलांग हो जाता है । इस स्थिति में प्राकृतिक विपत्ति एवं दुर्घटनाएं पृथक रूप से बच्चों को विकलांग बनाने में उत्तरदायी हैं ।

पहली स्थिति की विकलांगता को नियंत्रित करने हेतु गर्भावस्था में ही कुछ उपाय सुझाए गए हैं इसके लिए गर्भवती माता को पौष्टिक आहार, प्रसव पूर्व सेवाएं एवं गर्भावस्था की स्थिति में सीमित शारीरिक कार्य आदि के द्वारा आशातीत सफलता प्राप्त हो सकती है । यह देखने में आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाएं विपरीत काल में भी कठिन शारीरिक परिश्रम करती रहती हैं जो कि गर्भस्थ शिशु पर विपरीत हानिकारक प्रभाव डालता है । कुछ मामलों में गर्भवती महिला की बर्बरतापूर्ण पिटाई कर देना भी शिशु को विकलांग बनाने के लिए उत्तरदायी होता है । दूसरी स्थिति से निपटने के लिए बच्चों को समय से रोग निरोधक टीके, उचित पौष्टिक आहार और कार्य करने की सुरक्षापूर्ण स्थितियों का ज्ञान करा कर सफलता प्राप्त की जा सकती है ।

1981 के अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग कल्याण वर्ष के परिप्रेक्ष्य में हम सबका यह कर्तव्य हो जाता है कि विकलांगों के पुनर्वास एवं विकलांगता को नियंत्रित करने हेतु नितांत ग्रामीण क्षेत्र को भी विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी योजनाएं तैयार करें, क्योंकि देश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है।

सुझाव

ग्रामीण विकलांग बच्चों के पुनर्वास एवं विकलांगता को नियंत्रित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्यतः रोग निरोधक टीके लगवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए । इन ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ चेचक के टीके को छोड़कर अन्य टीकों के बारे में ग्रामीण-जन ज्ञान भी नहीं रखते । जहां तक पौष्टिक आहार का प्रश्न है, देश की 40 प्रतिशत से अधिक जनता गरीबी की सीमा रेखा से भी निम्नतर जीवन जी रही है किन्तु यह उल्लेखनीय तथ्य है कि वे थोड़े से प्रयास से अपने दैनिक भोजन को लगभग 300 केलोरीज प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रोन्नत कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक ग्रामीण-जन का कर्तव्य है कि वह कम से कम अपने प्रयोग भर तो सब्जियां विशेषकर हरी सब्जी आदि लगाने की व्यवस्था करें। भूमिहीन परिवार भी घर, घेर के किसी स्थान में इस की व्यवस्था कर सकते हैं । सब्जियों का फसल चक्र इस प्रकार बनाया जाय कि प्रतिदिन उन्हें सब्जी उपलब्ध हो सके एवं वर्ष में कम से कम 6 माह हरी सब्जी भी मिल सके । इससे भोजन संतुलित होने के साथ ही विटामिन 'ए' की कमी भी पूरी की जा सकेगी । फलस्वरूप अंधता तो दूर होगी ही साथ ही आंखों के रोगों में भी कमी आयेगी । विशेषकर बच्चे एवं गर्भवती महिलाएं समयानुसार खेतों में आसानी से उपलब्ध गाजर, मूली, पालक, मेथी, मटर, सरसों, चना, का घेघरा आदि कच्चा ही खाएं । इनकी खाने योग्य हरी पत्तियां भी खूब

चबाकर खाएं। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है कि ग्रामीण जन गरीबी के कारण पूरे का पूरा दूध डेयरी या दूधिया को बेच देते हैं जिसमें गर्भवती महिलाएं और बच्चों को न तो दूध मिल पाता है और न ही घी। ऐसी स्थिति के लिए सुझाव है कि ग्रामीण जन दूध न बेचकर उसका घी निकाल कर बेचें। इससे परिवार के सदस्यों को दूध के ही अधिकांश गुणों से युक्त मट्ठा तो खाने को अवश्य ही मिलेगा। साथ ही उन्हें इस परिवर्तन से कोई आर्थिक हानि भी नहीं होगी।

गांवों में गर्भवती महिलाओं को भारी कार्य एवं मारपीट से भी गुजरना पड़ता है जिससे विकलांग होने का भय तो रहता ही है साथ ही कभी-कभी भारी हानि भी हो जाती है। उदाहरणतः एक बार ग्रामीण जन ने अत्यंत जोर से लात का प्रहार कर दिया जिससे गर्भस्थ शिशु की मृत्यु ही नहीं वरन् गर्भवती पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया। अतः प्रसव पूर्व व प्रसव बाद सावधानियां बरतने हेतु उचित शिक्षा भी जरूरी है।

यह भी देखने में आया है कि गांवों में अपरिपक्वावस्था के 4-12 वर्ष तक के बच्चे सिर पर भारी बोझ ढोना, दिन व रात सिंचाई व अन्य कठिन कृषि कार्य करना, पशु चराना, चारा काटना यहां तक कि मजदूरी आदि भी करते पाए जाते हैं। इतने पर भी उनको समय से उचित भोजन भी नहीं मिल पाता है जिसके कारण उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास ही नहीं रुकता वरन वे विकलांगता और गंभीर रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, फिर गंदे वातावरण द्वारा तरह-तरह की गंदी आदतें भी पाल लेते हैं। ग्रामीण बच्चों का एक भाग धूम्रपान भी करता है। ऐसी परिस्थिति के निराकरण हेतु ग्रामीण जनों के आर्थिक स्तर में सुधार लाना अत्यावश्यक प्रतीत होता है। विकलांगों का शारीरिक पुनर्वास, चिकित्सा सुविधा बाधित बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ ही भविष्य के लिए रोजगार की व्यवस्था करना नितांत आवश्यक है। हर्ष का विषय है कि शासन ने इस विशेष वर्ग के परिप्रेक्ष्य में बड़ी-बड़ी योजनाएं तैयार की हैं किन्तु इसमें संदेह प्रतीत होता है कि विकलांगों की एक बड़ी कतार में पीछे खड़े इन नितांत ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी इसका कुछ लाभ मिल पाएगा? अथवा यह सब मात्र कागजी कार्यवाही बनकर रह जाएगा? इसके लिए समय रहते सचेत होने की आवश्यकता है। □

एक ही जादू : कड़ी मेहनत

कैसी मुसीबत? कैसा गम?
हमतो जानते हैं केवल एक श्रम।
बहाओ पानी बदन से
तो नहीं बहाना पड़ता
पानी नयन से
करो काम उमके
तो नहीं आते सपने गम के।
श्रम से ही
सपने साकार बनते हैं,
समृद्धि के द्वार खुलते हैं,
दुःख-दारिद्रय-मल धुलते हैं,
जीवन प्रसून खिलते हैं,
श्रम का ही है सकल जगत में पसारा
बिना श्रम के कब कौन हुआ, काम हमारा?
इसीलिए इन्दिरा जी कहती हैं—
"एक ही जादू! कड़ी मेहनत
इसी से आती है समृद्धि
इसी से बनती है सेहत"।

महाराज

पो० एवनीपुर, वाया मऊरानीपुर
(झांसी) उ० प्र०

हरियाणा में बारानी खेती : अनुसंधान और उपलब्धियां

गंगाशरण सैनी

हरियाणा प्रदेश बनने के उपरांत इसके नहरी सिंचाई क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हो रही है। फिर भी प्रदेश की 50 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि अभी भी बारानी है। बारानी क्षेत्र का मुख्य भाग भिवानी, हिसार, सिरसा, महेन्द्रगढ़, रोहतक एवं गुड़गांव के जिलों में पड़ता है, इन जिलों में सबसे कम वर्षा (300 मि० मी०) सिरसा जिले में होती है। हिसार व भिवानी जिलों में लगभग 400 मि० मी० और रोहतक जिले में 500 मि० मी० से अधिक वर्षा होती है। अभी तक बारानी क्षेत्रों में उपज कम मिलने के लिए वर्षा का अभाव प्रमुख कारण माना जाता रहा है, किन्तु कृषि वैज्ञानिकों ने इस धारणा को गलत सिद्ध कर दिया। परीक्षणों द्वारा पता चलता है कि पर्याप्त वर्षा होने पर भी बारानी फसलों को औसत उपज में कोई विशेष बढ़ोत्तरी नहीं होती है। बारानी क्षेत्रों में कम उपज मिलने के कई कारण हैं, उनमें नमी का संरक्षण न करना, उचित फसल किस्मों का चयन न करना, खर-पतवार नियंत्रण की ओर ध्यान न देना, उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग न करना खाद व उर्वरकों का प्रयोग न करना, पौधे संरक्षण उपायों की ओर पर्याप्त ध्यान न देना आदि प्रमुख कारण हैं।

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा बारानी क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु शुष्क कृषि अनुसंधान परियोजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत कृषि वैज्ञानिक बारानी खेती सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए समुचित उपायों को खोज निकालने के लिए प्रयत्नशील है। उनकी लगन, व अथक प्रयत्नों के कारण कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं। सर्व साधारण की जानकारी के हेतु उनका उल्लेख नीचे किया गया है :

नमी संरक्षण

विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अनुसंधान से पता चलता है कि बारानी क्षेत्रों में कम उपज का मुख्य कारण वर्षा ही नहीं है बल्कि फसल के अच्छे उत्पादन हेतु वर्षा का पानी उचित विधि द्वारा भूमि में जमा न करना है यदि वर्षा ऋतु में वर्षा के पानी को भली भांति एकत्रित कर लिया जाय और उसका समुचित उपयोग किया जाय, तो बारानी फसलों से उतनी ही उपज ली जा सकती है जितनी कि नहर द्वारा सिंचित फसलों से। वर्षा के पानी को एकत्रित करने और उसके समुचित उपयोग करने के उपायों का उल्लेख नीचे किया गया है।

ऊंचे-नीचे क्षेत्रों वाली भूमि में नमी संरक्षण के लिए भूमि का समतलीकरण बहुत जरुरी है। इसके अतिरिक्त, खेत के चारों ओर उचित आकार की डौलियों का निर्माण करना भी जरुरी है, ताकि वर्षा का पानी खेत के बाहर न जाए।

इन क्षेत्रों में वर्षा के फालतू पानी को एकत्रित करने के लिए तालाबों का निर्माण किया जाए। तालाबों के निर्माण का कार्य कृषकों को सामूहिक रूप से करना चाहिए। फालतू पानी को नदियों में बांध बनाकर भी एकत्रित किया जा सकता है। इस ओर प्रादेशिक सरकार के सिंचाई विभाग को प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना चाहिए।

नमी संरक्षण के लिए ढेले रहित और भुरभुरी भूमि का होना बहुत जरूरी है। बारानी क्षेत्रों में खेत की तैयारी आम तौर से देशी हल से की जाती है, किन्तु अनुसंधान द्वारा पता चला है कि देशी हल से जुताई के स्थान पर ब्लैडहैरा नामक यंत्र से करनी चाहिए। इस यंत्र के चलाने से गहराई में नमी नष्ट होने से बच जाती है।

शुष्क कृषि अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत "रिजर सीडर" नामक यंत्र का विकास किया गया है जिसे ट्रैक्टर, ऊंट व बैलों द्वारा चलाया जा सकता है। यह एक अत्यन्त उपयोग कृषि यंत्र है। यह यंत्र खूंड व मेड़ों का निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त सावनी (खरीफ की फसलों) की मेड़ों पर बीजाई भी कर सकता है। खूंडों में वर्षा का पानी एकत्रित हो जाता है, जो धीरे-धीरे भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। इस तकनीक के द्वारा न केवल वर्षा का पानी एकत्रित किया जा सकता है, बल्कि अधिक वर्षा होने पर फालतू पानी का खेत से निकास भी सुगमता से किया जा सकता है।

गुड़गांव और महेन्द्रगढ़ में अरावली और अम्बाला में शिवालिक की तलहटी में पर्याप्त मात्रा में पानी होता है, सोनीपत, रोहतक और जींद जिलों में बाढ़ का पानी जो फसलों को हानि पहुंचाता है, नहरों या तालाबों द्वारा बारानी क्षेत्रों में खेती करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। इससे दो लाभ होंगे—एक बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में कम हानि होगी। दूसरे बारानी क्षेत्रों में इसे सिंचाई के काम लाया जा सकता है।

उचित फसलों/किस्मों का चयन

बारानी क्षेत्रों में पानी की कमी को ध्यान में रखकर फसलों व किस्मों का चयन एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं विचारणीय प्रश्न है, जबकि कृषक इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण लाभ के स्थान पर हानि हो जाती है। आमतौर पर देखा गया है कि कृषक भूमि में उपलब्ध नमी, कीट व रोगों,

पाले आदि की सम्भावना को ध्यान में रखे बिना ही फसलों का चयन कर लेते हैं। यह एक भयंकर गलती है। आम तौर से अनाज व तिलहन फसलों के अलावा, चारे की अधिक उपज लेने के लिए कृषक आमतौर से 60-80 प्रतिशत क्षेत्र में बाजरा ही उगाते हैं, किन्तु बाजरे की फसल में चेंपा नामक रोग लगने का भय रहता है। यदि किसी कारणवश बाजरा उगाना ही पड़े, तो बाजरा की बी० जे० 104 नामक किस्म ही उगाएं। अधिक क्षेत्र में बाजरा न उगाएं। यदि बाजरे के स्थान पर मूंग की नई किस्म एस०-9 उगाएं, जो केवल 65 दिन में तैयार हो जाती है या ग्वार की एफ० एस०-27 नामक किस्म उगाना लाभप्रद रहता है। ये दोनों फसलों से न केवल कृषि उपज मिलती है, बल्कि भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि बाजरे की बीजाई जुलाई के तीसरे सप्ताह तक की जा सकती है जबकि मूंग और ग्वार की बीजाई जुलाई से मध्य अगस्त तक की जा सकती है।

उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई साधन उपलब्ध नहीं हैं, साठी (रबी) की फसल उगाने की संभावनाएं बीजाई के समय और भूमि में उपलब्ध नमी की मात्रा पर निर्भर करती है। भूमि की नमी पिछली सावनी (खरीफ) की कुल वर्षा, उसके वितरण और संरक्षण के उपायों पर निर्भर करती है।

परीक्षणों द्वारा पता चला है कि भूमि में विभिन्न नमी की मात्रा पर विभिन्न फसलें बोने से भरपूर उपज मिलती है। ये फसलें निम्न प्रकार हैं :—

तारामीरा—भूमि की नमी 150 मि० मी० प्रति मीटर तक।

राया— भूमि की नमी 150-200 मि० मी० प्रति मीटर तक।

चना— भूमि की नमी 200 मि० मी० प्रति मीटर से अधिक।

फसलों/किस्मों के चयन के समय भूमि की नमी की मात्रा के अतिरिक्त भूमि की उर्वरता का भी ध्यान रखना चाहिए। कम उर्वरक भूमि में तारामीरा अधिक उपज देने की क्षमता रखता है। अच्छी वर्षा और पाले रहित वर्ष में सरसों की फसल अधिक उपज देती है, परन्तु सरसों की फसल पर अधिक रोग व कीट लगने का भय रहता है। ऐसी स्थिति में राया की फसल कम पानी में अधिक उपज देने की क्षमता ही नहीं रखती, बल्कि सरसों की अपेक्षा कीट व रोग भी कम लगते हैं साथ ही पाला पड़ने पर सरसों की तुलना में कम हानि होती है। शुष्क कृषि अनुसंधान परियोजना हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने राया की एक ऐसी किस्म का पता लगाया है, जिस पर पाले का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उपज भी अधिक देती है। इस किस्म को "गोभिया सरसों" कहते हैं। इसके अतिरिक्त, राया की टी०-59 किस्म बारानी क्षेत्रों के लिए उत्तम पाई गई है। बारानी खेती के लिए चने की एच०-208 किस्म उत्तम पाई गई है।

खरपतवार नियंत्रण

खरपतवार ऐसे पौधे होते हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं होती है परन्तु फिर भी ये बिना बीजे ही खेत में उग आते हैं। ये भूमि में उपस्थित नमी, पोषक तत्वों का उपयोग कर लेते हैं। जिसके कारण मुख्य फसल इन तत्वों से वंचित रह जाती है। जिसके कारण फसल के विकास, वृद्धि और उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फसलों को होने वाली हानि, खरपतवारों की जाति, उनके उत्थान होने का समय, ईकाई क्षेत्र में उनकी संख्या व खेत में बने रहने की अवधि पर निर्भर करती है।

बारानी क्षेत्र में नमी की वैसे ही अधिक कमी होती है, जबकि खरपतवार भूमि से नमी को अधिक मात्रा में सोख लेते हैं। अतः बारानी क्षेत्रों में उर्वरकों और जल आदि अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए खरपतवार का समय पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। खरपतवारों का नियंत्रण और अच्छी गोड़ाई करने से वर्षा जल का चौथाई भाग भूमि में सुरक्षित रखा जा सकता है। अतः उन्नत कृषि यंत्रों से ठीक समय पर निराई गोड़ाई करनी चाहिए। इसके लिए पहिए वाला कसौला (व्हील हैण्ड) ही, बैलों का रन्दा (ब्लैड हैरो) उपयुक्त कृषि यंत्र हैं। बारानी क्षेत्रों में इन यंत्रों का प्रयोग करके खरपतवारों का नियंत्रण करके अधिक उपज ली जा सकती है।

उन्नत कृषि यन्त्र

बारानी फसलों से अधिक उपज लेने के लिए उन्नत कृषि यंत्रों का उतना ही महत्व है जितना कि बीज खाद व कीटनाशक दवाओं आदि का। उन्नत कृषि यंत्रों द्वारा भूमि में नमी संरक्षित कर खरपतवारों को नष्ट करके और उन्नत विधि से बीजाई तथा खेत में पौधों की संख्या में वृद्धि करके अधिक उपज ली जा सकती है। कुछ उपयोगी कृषि यंत्र, जिनके प्रयोग की सिफारिश की जाती है, उनका संक्षिप्त उल्लेख नीचे दिया गया है :—

जुताई यन्त्र

प्रारम्भिक जुताई देशी हल या हैरो से की जा सकती है किन्तु दूसरी जुताई सदैव ब्लैड हैरो से करनी चाहिए। ब्लैड हैरो द्वारा एक दिन में एक हेक्टेयर की जुताई की जा सकती है। भूमि की पपड़ी को तोड़कर उसे भुरभुरा बना देता है, जिससे भूमि में अधिक नमी संरक्षित रहती है। यह यंत्र बैलों द्वारा चलाया जाता है। बैलों को थकावट भी नहीं होती है। खरपतवारों की जड़ों को भलीभांति काट देता है।

बीजाई यन्त्र

बारानी क्षेत्र में बीजाई करने के लिए शुष्क कृषि परियोजना के अन्तर्गत एक उन्नत कृषि यंत्र का विकास किया गया है जिसे "रिजर सीडर" की संज्ञा दी गई है। यह यंत्र बैलों, ऊंट या ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जा सकता है। इस यंत्र की सहायता से बीजाई मेड़ों या नालियों (खूंडों) में की जा सकती है। बैलों से चलने वाला "रिजर सीडर" देशी हल पर ही बनाया जा सकता है।

निराई-गोड़ाई यंत्र

बारानी क्षेत्र में फसलों की अधिक से अधिक ऊपज लेने के लिए निराई-गोड़ाई का विशेष महत्व है । निराई द्वारा खर-पतवारों के नष्ट होने से भूमि की सारी खुराक एवं नमी फसल को प्राप्त हो जाती है और ऊपज में वृद्धि होती है । गोड़ाई के लिए सुधरे कृषि यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए ।

खाद व उर्वरक

आम तौर से कृषक बारानी क्षेत्रों में खाद व उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते हैं । जिसके कारण उन्हें कम उपज मिलती है । बारानी क्षेत्रों में खाद व उर्वरकों का प्रयोग करके अधिक ऊपज ली जा सकती है ।

पौध संरक्षण

आम तौर से देखा गया है कि बारानी क्षेत्र में फसलों को रोग व कीट अधिक लगते हैं । जिसके कारण उनकी ऊपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । अतः इनकी रोकथाम का शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए । बारानी क्षेत्रों में दीमक का अधिक प्रकोप होता है, अतः भूमि की तैयारी के समय 37 कि० ग्रा० एल्ड्रिन 5 प्रतिशत का चूरा खेत में डाल दें । यदि फसल उगने के उपरांत दीमक का प्रकोप हो जाए तो 5 लिटर एल्ड्रिन 30 ई० सी० प्रति एकड़ हेक्टेयर की दर से सिंचाई के साथ दें ।

फसलों पर रोग व कीट लगने की स्थिति में उनकी रोकथाम समीप के पौध संरक्षण अधिकारी से मिलकर समय से करें ताकि बारानी खेतों से अधिक ऊपज मिल सके।

यदि उपरोक्त विधियों को अपना कर बारानी क्षेत्रों में खेती की जाए तो निश्चित रूप से अधिक ऊपज ली जा सकती है । बारानी क्षेत्र में ऊपज बढ़ने से देश के कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी । देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की भोजन वस्त्र आदि की समस्या का समाधान होगा, साथ ही कृषकों के जीवन-स्तर में सुधार होगा । □

अतिरिक्त सहायक निदेशक
केन्द्रीय जल आयोग
फरीदाबाद

आलू की खेती और स्वादिष्ट व्यंजन

डा० वीरेन्द्र कुमार खुल्लर

आलू एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग सब्जी से लेकर शराब तक में होता है । यह एक ऐसी सब्जी है जो पूरे वर्ष काम आती है । यदि इसे परिश्रम से बोया जाए तो ये पैसे भी बहुत देती है । इसका प्रयोग अमीर और गरीब दोनों समान रूप से करते हैं । आलू की खेती के लिए मैरा भूमि बहुत अच्छी है । यदि भूमि में रेत अधिक हो तो भी खाद डालकर अच्छी फसल उगाई जा सकती है । वैसे भी भूमि उपजाऊ क्यों न हो जब तक हम उसमें कभी-कभी खाद नहीं डालते तब तक वह अच्छी फसल न दे सकेगी । भूमि अच्छी तरह नरम तथा पोली होनी चाहिए । भूमि जितनी पोली होगी उतने अधिक आलू होंगे । आलुओं को खाद बहुत चाहिए । गोबर की खाद या मिश्रित खाद प्रति एकड़ 20 से 25 गाड़ी डालनी चाहिए । अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट तथा सल्फेट आफ पोटाश की मिश्रित खाद 5-6 मन प्रति एकड़ डालनी चाहिए ।

देसी आलू सितम्बर में बोए जाते हैं एवं जनवरी-फरवरी में तैयार हो जाते हैं। पहाड़ी आलू फरवरी में बोया जाता है एवं मार्च-अप्रैल में तैयार हो जाता है । बीज की मात्रा प्रति एकड़ 6 से 8 मन तक होती है । लेकिन पहाड़ों में प्रति एकड़ 10 से 12 मन बीज पड़ जाता है । मैदानों में आलू काट कर बोते हैं । लेकिन हर कटे हुए भाग में 1-2 आंखें जरूर होनी चाहिए ।

आलुओं के पौधों का आपसी अन्तर 6 इंच से 9 इंच का होना चाहिए । पंक्तियों की दूरी अर्थात् मेड़ों का अन्तर डेढ़ से दो फुट तक का होना चाहिए । यह दो तीन इंच गहरे बोए जाते हैं । इनकी सिंचाई 7-8 दिन में या आवश्यकतानुसार करनी चाहिए । मैदानी इलाकों में फसल की दो बार नराई तथा दो बार मिट्टी चढ़ानी चाहिए। मिट्टी चढ़ाने से आलुओं को मोटे होने के लिए अधिक स्थान मिल जाता है ।

जब पत्ते पीले पड़ जाएं तो आलुओं को खुरपे-कुदाली द्वारा उखाड़ लेना चाहिए। उन्नत ढंग से तथा परिश्रम द्वारा एक एकड़ में 625 मन उपज भारत में ली जा चुकी है । साधारण 200 से 225 मन प्रति एकड़ उपज तो हो ही जाती है ।

शिमला के केन्द्रीय आलू अनुसंधान ने आलू की 'कुफी सिंदूरी' नामक नई किस्म निकाली है । जिसका छिलका लाल रंग का है । और पूरी तरह बड़ा होने पर एक आलू का वजन 100 ग्राम से ज्यादा होता है । इसी की दो अन्य विशेषताएं हैं :—(1) इसकी सब्जी बनाने में कम समय लगता है । और यह स्वादिष्ट होता है (2) इसमें कीट और बीमारियां नहीं लगती ।

गोला स्पेशल, सुरखा, खीरा, फबुआ तथा स्कौच आलुओं की किस्में हैं । आलुओं की फसल को कई प्रकार की बीमारियों और कीड़ों से मुकाबला करना पड़ता है।

'सुरही कीट' यह अधिकतर पौधों की पत्तियों में छेद करता है और भंडार में पड़े आलुओं को भी नुकसान पहुंचाता है । बरसात की अधिकता के साथ-साथ यह कीड़े भी अपना हमला तेज कर देते हैं । यह खेतों में नवम्बर से फरवरी तक हमला करते हैं । इसकी रोक-थाम का उपाय है कि हर सिंचाई के समय पौधों पर मिट्टी चढ़ाते रहिए । रोगी पौधों को उखाड़ कर जलाते रहिए । 'एफिड कीट' ये पत्तियों पर हमला करके उनका रस चूसते हैं । पत्तियां नीचे की ओर मुड़कर पीली पड़ जाती हैं । अगर ये कीड़े तेजी से हमला कर दें तो फसल पूरी नष्ट होने का खतरा बना रहता है । इसकी रोकथाम डाई इथाई क्वोमेट और डाईथेन जेड-78 का नियमित छिड़काव करें ।

इसके अतिरिक्त ब्लैक हार्टरोग, पछेती अंगमारी, पदगलन, मुर्झान रोग का भी आलुओं की फसल को सामना करना पड़ता है । इनसे बचाव के लिए रोग मुक्त बीज लें और रोगी पौधों को उखाड़ कर फेंकते रहें । अर्थात् नष्ट करते रहें । फफूंद नाशक दवाओं का समय-समय पर इस्तेमाल करते रहें या डी० डी० टी० का छिड़काव करते रहें ।

आलुओं का सब्जियों के अतिरिक्त दैनिक जीवन में भी बहुत महत्व रहता है । प्राचीन अरब में विवाह करने व योग्य कन्या का चुनाव करने में आलू का बड़ा महत्व रहता था । नवयुवकों को सलाह दी जाती थी कि वे जिस लड़की को विवाह कर पत्नी बनाना चाहते हैं उसे आलू छीलते हुए देखें । अगर वह आलू के मोटे छिलके उतारती है तो समझ लीजिए कि वह फिजूल खर्चीली है । अगर उसके काले स्थान को नहीं छीलती तो वह आलसी है, अगर वह उन्हें एक ही पानी में धोती है तो वह स्वच्छता प्रिय नहीं है । उन्हें पकाने में अगर वह अधिक चिकनाई का प्रयोग करती है तो खुशामदी है । अगर आलू जल जाते हैं तो वह लापरवाह है । परन्तु जो लड़की आलू छीलने, धोने पकाने में स्वच्छता व सावधानी से काम लेती है तो उससे अवश्य विवाह कर लें ।

कहते हैं आलू खाने से काम शक्ति बढ़ती है । उधर दूसरा मत है कि आलू खाने वाले व्यक्ति आलसी व सुस्त होते हैं । इस सम्बन्ध में जर्मन प्रोफेसर फूहरबैक का मत है कि आलू का अधिक प्रयोग करने वाला राष्ट्र आलसी होता है । उनके सैनिक अच्छे लड़ाकू नहीं होते । वहां कभी क्रांति नहीं हो सकती । वे आगे लिखते हैं कि शूरवीरों को जन्म देने के लिए आलू का प्रयोग त्याग देना चाहिए । उनका दृढ़ मत है कि आलू खाने वाले के खून में क्रांति के जीवाणु नहीं होते हैं ।

आलू के पक्ष अथवा विपक्ष में चाहे कुछ भी कहा जाए परन्तु इसके स्वाद से कोई भी अपने को नहीं बचा सकता । तो आइए इसको भिन्न-भिन्न प्रकार से बनाकर इसका स्वाद उठाएं ।

आलू की सब्जी सब सब्जियों से अच्छी मानी जाती है । इसी कारण पूरा वर्ष आलू बड़े चाव से एवं स्वाद से खाया जाता है । इसका कारण यह है कि पूरी, कचौरी, समोसे, पापड़, बर्फी, हलुआ आदि सब पदार्थ बनते हैं । आलू में एक विशेषता और भी है कि यह सब तरह से बनता है । घी में, तेल में, खाली नमक में मिर्च और पानी से भी बन जाता है । खाने में स्वादिष्ट तो होता ही है । लीजिए पहले साधारण आलू बनाईए और खाइए ।

एक किलो आलू लेकर पहले उन्हें छील लो । फिर उनके छोटे-छोटे टुकड़े करके, पहले थोड़ा सा घी और अंदाजे से जीरा कढ़ाई में डालकर सुर्ख करो । जब जीरा सुर्खी पर आ जाए तब हरी मिर्च जितनी खानी हो उतनी काटकर डाल दो और आलुओं को धोकर उसमें छोड़ दो । कड़छी से नीचे-ऊपर चला कर पिसा हुआ नमक डाल दो फिर एक छटांक पानी का छींटा देकर किसी बर्तन से ढक दो । जब आलू गल जाएं तब उतार लो ।

रसेदार आलू बनाने की विधि

यह दो तरह से बनाए जाते हैं । एक तो कच्चे आलुओं को छील कर और दूसरे आलू उबालकर । दोनों का स्वाद अलग-अलग होता है । इनके बनाने की विधि भी अलग-अलग है । पहले आलुओं को छील डालो या उबाल लो । यदि कच्चे बनाने हों तो धनियां, नमक, हल्दी, प्याज आदि को रगड़ कर मसाला बना लो । पतीली में घी डालकर मसाला भूनो । जब मसाले में सुगंध आने लगे तब उसमें छिले हुए आलुओं के दो-दो टुकड़े करके डाल दो । और कड़छी से हिलाते रहो । थोड़ी ही देर में आवश्यकतानुसार पानी डाल दो । जब गलने पर आएं तो छटांक भर दही डाल दो और दो-तीन उफान देकर उतार लो ।

यदि रसा अधिक करना हो तो पानी अधिक डालना चाहिए । लीजिए सब्जियां तो आप खा चुके । अब आलुओं का मुरब्बा खाइए ।

सफेद आलू एक किलो, चीनी दो किलो, नींबू चार, इलाइची, केसर, काली मिर्च दो-दो माशे । बड़े-बड़े आलुओं को छीलकर उन्हें कांटे से गोद डालो फिर पानी में दो नीबुओं का रस डालकर उन्हें हल्का सा उबाल लो । एक तार की चाशनी बनाकर आलू छोड़ दो और शेष नीबुओं का रस छोड़कर पकाओ । जब आलू गल जाएं, तब इलाइची काली मिर्च और केसर पीसकर डाल दो और और मर्तबान में रख लो । मेहमानों को भी खिलाइए और स्वयं भी खाइए ।

मुंह तो मीठा हो गया । आइए अब फिर से उसे नमकीन कर लें । आलुओं की पीठी की कचौड़ियां बनाने के लिए एक किलो आलुओं को उबाल लो, और छील कर हाथों से खूब मथ डालो । जिससे कोई मोटा टुकड़ा नहीं रह पाए । फिर उसमें गर्म मसाला, अमचूर, हरा धनिया आवश्यकतानुसार मिला दिया जाए तो बड़ी स्वादिष्ट कचौड़ियां बनेंगी । आटे को जितना गूंधोगे उतनी ही अच्छी कचौड़ियां बनेंगी । आटे की छोटी-छोटी लोई बनाकर उसमें आलू की पीठी भरकर एवं उन्हें बेलकर घी या तेल में सेंक लो । गरमागर्म कचौड़ी खाने का मजा आ जाएगा ।

यदि कचौड़ी को आलू के रायते से खाया जाए तो कैसा रहे । वैसे तो रायता भी कई वस्तुओं का है और कई प्रकार से बनता है । इसे भोजन का शृंगार भी कहा जाता है । □

मलेरिया से सावधान

क्या आपके परिवार का कोई भी सदस्य बुखार से पीड़ित है ? इसकी उपेक्षा मत करिए। यह मलेरिया भी हो सकता है। जो एक बुरी बीमारी है। ये स्वस्थ व्यक्ति को दबोच लेता है तथा उसकी शारीरिक दुर्बलता और परेशानी का कारण बनता है। अक्सर समूचे गाँव शहर या अंचल इसकी पकड़ में आ जाते हैं।

लक्षण

मलेरिया के लक्षण हैं :

- सर्दी और कंपकंपाहट के साथ एकदम तेज ज्वर जो आमतौर से कुछ घंटे ही रहता है।
- तीव्र ताप और तेज सरदर्द।
- इसके बाद बहुत पसीना बहना और अत्यधिक कमजोरी के साथ बुखार का कम होना।

बचाव के उपाय

किसी भी प्रकार का बुखार होने पर शीघ्र ही खून की जाँच जरूरी है। इसके बाद संभावित उपचार के लिए निर्धारित संख्या में क्लोरोक्विन की गोलियां खाएं यदि खून में मलेरिया के कीटाणु पाए जाएं तो मूल उपचार के लिए पांच दिन तक मलेरिया रोधी दवा खाएं।

तेज बुखार, बेहोशी या संधि की स्थिति में रोगी को शीघ्र ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेंसरी या अस्पताल में ले जाएं, जहां सभी को मुफ्त डाक्टरी सलाह और उपचार दिया जाता है।

मलेरिया की रोकथाम के लिये

- गंदे पानी को अपने घर में अथवा आसपास जमा न होने दें। क्योंकि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर इसी पानी में पनपते हैं। यदि ऐसा करना असम्भव हो तो उस पर मिट्टी का तेल छिड़कें।
- समय-समय पर कीटनाशक दवाई छिड़कने वाले दलों को सहयोग दें। दूसरों को भी ऐसा करने को प्रेरित करें।
- अपने घर में पूरी तरह से छिड़काव करवाएं। रसोईघर, पूजा का कमरा, गोदाम या पशुओं को बांधने की जगह इत्यादि में भी छिड़काव का ध्यान रखें।
- छिड़काव करते समय खाने की वस्तुओं तथा चारे को ढक कर रखें।

मच्छर और मानव का सम्पर्क न होने दें

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)

22, शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054

डीएवीपी 80/420

परम्परा से चले आ रहे अन्धविश्वास

शकुन्तला धवन

बहुत से लोग ग्रहों की गति के आधार मर ज्योतिषियों द्वारा की गई भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं। इन मान्यताओं का कोई ठोस आधार नहीं होता। इसलिए इन्हें अन्ध-विश्सास कहा जाता है। बहुत से अन्ध-विश्वासों के मूल में सदियों पुराने विश्वास छिपे रहते हैं। अतः अनेक अंधविश्वास बहुत प्राचीनकाल से चले आ रहे हैं। यह बताना मुश्किल है कि कोई अंधविश्वास कब और कैसे शुरु हुआ।

बहुत से अंधविश्वास शुभ और अशुभ के बारे में होते हैं। बिल्ली का रास्ता काट लेना अशुभ माना जाता है। पर यदि कहीं जाते समय रास्ते में दाहिने हाथ पर बछड़े को दूध पिलाती गाय दिख जाए तो इसे शुभ माना जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि कुत्ते या सियार के असमय रोने पर देश में अकाल पड़ जाता है। कोई काम करते हुए या कहीं जाते हुए यदि छींक आ जाए तो उस कार्य को कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। इसी तरह स्त्रियों के लिए बाईं आंख का और पुरुषों के लिए दाईं आंख का फड़कना शुभ माना जाता है। पुरुषों के बाएं हाथ में और स्त्रियों के दाएं हाथ में खारिश होना शुभ माना जाता है। कहीं जाते समय रास्ते में किसी पंडित का मिलना अशुभ माना जाता है जबकि किसी जमादार के मिलने को शुभ माना जाता है। किसी की जीभ पर छाले पड़ने पर कुछ देशों में यह समझा जाता है कि उस व्यक्ति ने झूठ बोला है। भारत में मूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे को अनिष्टकारी समझा जाता है। ऐसा अंधविश्वास किया जाता है कि जिस घर पर गिद्ध बैठ जाता है वह जल्दी खंडहर हो जाता है। इसी तरह कुछ लोग मानते हैं कि यदि कोई किसी के मकान में सेह का कांटा दबा दे तो उस घर में झगड़ा हो जाता है अथवा कलेश खड़ा हो जाता है। सड़क के किसी ओर छिपकली का नजर आना अच्छा नहीं माना जाता है। मछलियों का शिकार करने वालों में यह यकीन आम है कि यदि कोई अपने द्वारा मारी गई मछलियों को गिन लेता है तो फिर उस दिन वह और मछली नहीं पकड़ पाता। यदि कोई पक्षी किसी के मकान (घर) के उपर अपना घोंसला बनाए तो इसे आग लगने और बिजली गिरने का संकेत माना जाता है।। घर के दरवाजे पर मुर्गे के बोलने से किसी मेहमान के आने का विश्वास किया जाता है। पुराने जमाने में यदि एलबैटरेज पक्षी का झुण्ड समुद्र में किसी जहाज का गोल चक्कर लगाए तो जहाज-चालक किसी भयानक तूफान के आने का संकेत मानते थे।

बिल्ली और अंधविश्वास :

बुरा शगुन : घर से बाहर जाते समय किसी व्यक्ति की यात्रा शुरू होने के समय मुंह में खाने का टुकड़ा हो तथा बिल्ली का मियाऊं करना बहुत बुरा माना जाता है। किसी औरत के माथे को बिल्ली द्वारा स्पर्श करना अथवा चलना इतना अपशगुन मानते हैं कि उस औरत का पति मर जाता है। यदि कोई बिल्ली औरत की छाती पर स्पर्श करे तो कहते हैं कि उसका पुत्र मर सकता है। इसी तरह किसी और के पैर को बिल्ली द्वारा स्पर्श करना या चलना इतना अप-शगुन माना जाता है कि उसका ससुर मर सकता है। बिल्ली का किसी तरफ से रास्ता काटना बुरे शगुन का संकेत कहा जाता है। बिल्ली का किसी सोये हुए व्यक्ति के ऊपर गिरना बहुत अपशगुन कहा जाता है। बिल्ली के किसी व्यक्ति के पैरों को सूंघना बुरा कहा जाता है।

अच्छा शगुन : अपनी यात्रा के दौरान यदि कोई व्यक्ति किसी बिल्ली को सड़क के बाईं ओर देखता है तो इसे अच्छा लक्षण बताया जाता है। किसी व्यक्ति के (शहर या गांव में) घर में घुसते समय उसे कोई बिल्ली घर में से दाईं ओर से आती दिखाई दे तो इसे अच्छा माना जाता है। यदि कोई बिल्ली मुंह में मांस का टुकड़ा लिए हुए ठीक उस समय 'म्यू' करे जब कोई व्यक्ति अपनी यात्रा शुरू करे तो इसे अच्छा शगुन मानते हैं।

सूअर और अंधविश्वास :

बुरा शगुन : यदि सूअर गीला हो और कीचड़ से भरा हो तो उसे अच्छा माना जाता है जबकि यदि कीचड़ उस पर सूखा हो तो बुरा शगुन कहते हैं।

अच्छा शगुन : अपनी यात्रा के दौरान यदि कोई व्यक्ति सूअर को अपनी बाईं ओर देखे तो ऐसा कहा जाता है कि उसकी इच्छा पूरी होगी। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति घर में (गांव या शहर में) प्रवेश करते समय किसी सूअर को अपनी दाईं ओर देखें तो कहते हैं कि उसे लाभ पहुंचेगा।

गधा और अन्धविश्वास

बुरा शगुन : गधे का किसी व्यक्ति के पीछे से शोरगुल करना बुरा शगुन कहलाता है। इसी तरह गधे का सामने से शोरगुल मचाना बुरा कहा जाता है। अतः ऐसा कहते हैं कि रास्ता बदलना चाहिए। यात्रा के दौरान सड़क के दाईं ओर अशुभ कहा जाता है।

अच्छा शगुन : यदि किसी व्यक्ति के यात्रा पर जाने या यात्रा से वापस आने के समय रास्ते में कोई गधा बाईं ओर शोरगुल मचाते मिले तो इसे शुभ शगुन मानते हैं। गधे और गधी को संभोग करते हुए देखने को सफलता का संकेत मानते हैं।

बन्दर और अन्धविश्वास :

अच्छा शगुन : अपनी यात्रा के शुरू होते ही यदि किसी को कोई बन्दर

शेष पृष्ठ 21 पर]

श्री जवाहरलाल नेहरु और सहकारी आंदोलन

जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी

वैसे तो भारत में 1904 से सहकारी समितियां स्थापित हैं लेकिन जब भारत स्वतन्त्र हुआ और भारत में योजनाबद्ध कार्य प्रारम्भ हुआ तो सहकारिता आंदोलन को बहुत प्रोत्साहन मिला। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिसके वस्तुतः सूत्रधार पं० जवाहरलाल नेहरू ही माने जाते हैं, कहा गया था कि एक लोकतन्त्र में योजनाबद्ध आर्थिक कार्यवाही के लिए सहकारिता पद्धति पर संगठन एक अपरिहार्य उपकरण है। इसलिए योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों का विकास किया गया और कृषि ऋण का सर्वेक्षण करने के लिए जो समिति बनाई गई उसने भी अपनी रिपोर्ट में सहकारी समितियों को मजबूत करने की सिफारिश की। प्रथम योजना काल में देश में लगभग 1,80,000 सहकारी समितियां थीं जिनकी संख्या बढ़कर 2,40,000 हो गई। इन समितियों में 1,37,20,000 सदस्य थे। उनकी संख्या बढ़कर 1,76,20,000 हो गई। जून 1951 तक इन समितियों के पास कुल 90 करोड़ रुपये जमा हुए जबकि पांच वर्ष बाद जमा रकम की मात्रा 138 करोड़ हो गई। इसी कार्यकाल में सहकारी समितियों की चालू पूंजी 2 अरब 76 करोड़ रुपये से बढ़कर 4 अरब 69 करोड़ रुपये हो गई।

इसके बाद कांग्रेस ने आवडी में यह सिद्धांत स्वीकार किया कि समाज का संगठन समाजवाद के ढंग पर हो और उसका असर भारत सरकार की राजनीति पर पड़ा। पहले सहकारी समितियों की स्थापना केवल ऋण देने के लिए होती थी। सन् 1952-53 में देश के देहाती क्षेत्रों में ऐसी 1,11,628 समितियां थीं जिनमें हर वर्ष वृद्धि होती रही। 1953-54 में 15,326 की, 1954-55 में 16,366 की, 1955-56 में 16,619 की। लेकिन योजनाकाल में सहकारिता क्षेत्र में विविधता बढ़ी। और जब प्रथम योजना समाप्त हुई तो 9000 ऐसी समितियों की स्थापना हो चुकी थी जिनका काम माल का बेचना था। 2,000 मार्केटिंग फेडरेशन थे और 16 राज्य मार्केटिंग सोसाइटी थीं। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को गन्ना देने के लिए गन्ना यूनियनें बनीं और बम्बई, मद्रास तथा आंध्र की मार्केटिंग यूनियनों की स्थापना कर कपास और मूंगफली की बिक्री कर किसानों को उचित मूल्य दिलवाया। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब में सहकारी समितियों ने खाद तथा बीज किसानों तक पहुंचाया। उत्तर प्रदेश में ऐसे 1200 सहकारी बीज गोदाम बने जिनका काम सुधरे हुए बीजों तथा खाद का वितरण करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह प्रस्ताव भी पारित किया गया था कि लाइसेंस देने के तथा अन्य सुविधाओं को देने के समय सरकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाए। प्रथम योजनाकाल में सहकारी पद्धति पर चीनी मिल स्थापित करने के लिए 15 लाइसेंस दिए गए और केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को 1 करोड़ 30 लाख रुपये का ऋण दिया जिससे कि वे इन इकाइयों में पूंजी लगा सकें। सन् 1955-56 में दो सहकारी चीनी मिलों ने अपना काम प्रारम्भ कर दिया।

सन् 1958 सहकारिता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष है। इस वर्ष राष्ट्रीय विकास-परिषद ने श्री जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से सहकारी नीति पर एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि ग्राम-समुदाय को प्राथमिकता इकाई मानकर सहकारी समितियों का गठन किया जाए और ग्राम-स्तर पर सामाजिक तथा आर्थिक विकास का दायित्व और नेतृत्व ग्राम-पंचायतों और ग्राम सहकारी समितियों पर छोड़ा जाए। सामुदायिक विकास के उन कार्यों को, जिनका उद्देश्य जनता के प्रयत्नों द्वारा ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं में सुधार करना है, सहकारी समितियों और ग्राम-पंचायतों द्वारा किया जाए। सहकारी विकास के कार्यक्रम के लिए ग्रामीण-कृषि योजना को आधारशिला माना गया और उसे सर्वोच्चतम प्राथमिकता देने का निर्णय किया गया।

ये निर्णय श्री जवाहरलाल नेहरू से प्रेरित थे इसका परिचय 18 मार्च, 1964 को सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्री श्री एस० के० डे द्वारा दिए गए एक भाषण में मिलता है। सहकारी पत्रकारिता और प्रचार के संबंध में आयोजित एक गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए श्री डे ने कहा था कि छः वर्ष पूर्व राष्ट्रीय विकास परिषद ने सहकारिता के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पारित किया था, उसके अनुसार सहकारी आंदोलन को नया रूप देने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने मुझे सौंपी थी। मैं मित्रों

के सहयोग से इस धारणा और भावना के साथ काम कर रहा हूं कि देश में सहकारिता आर्थिक लोकतन्त्र का आधार है और सहकारी आंदोलन एक चुनौती है, जो अर्थ-व्यवस्था में एक तरफ निजी क्षेत्र और दूसरी तरफ सार्वजनिक क्षेत्र की कमियों का भी जवाब है ।

द्वितीय योजना में सहकारी आंदोलन के बारे में कहा गया : लोकतांत्रिक आधार पर आर्थिक विकास की दिशा में अगणित प्रकार से सहकारिता का उपयोग किया जा सकता है । हमारे समाज का समाजवादी प्रकार का ढांचा यह मानकर चलता है कि कृषि तथा उद्योग दोनों में काफी मात्रा में विकेन्द्रित इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं । ये इकाइयां एक साथ आकर बड़े आकार और बड़े संगठन का लाभ उठा सकती हैं । भारत के आर्थिक विकास में समाज-परिवर्तन पर जोर है, उसके कारण सहकारी गतिविधि के संगठित करने के लिए बहुत गुंजाइश है । इस प्रकार योजनाबद्ध विकास के भाग के तौर पर सहकारी क्षेत्र का निर्माण राष्ट्रीय नीति का एक केन्द्रीय लक्ष्य है ।

यह लक्ष्य घोषित कर दिया गया हो, ऐसा ही नहीं था । अनेक नए क्षेत्रों में सहकारी पद्धति का विकास किया गया । इनमें सबसे प्रमुख थी सहकारी खेती ।

इसमें कहा गया था कि इस बात के बारे में साधारण मतैक्य है कि सहकारी खेती का विकास जितनी शीघ्रता से हो सके, होना चाहिए । इस सम्बन्ध में जो व्यावहारिक उपलब्धियां हैं, वे अल्प हैं । दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में मुख्य कार्य यह होगा कि इस प्रकार के आवश्यक कदम उठाए जाएं, जिनसे सहकारी खेती के विकास के लिए सुदृढ़ आधारशिला रखी जाए, ताकि दस वर्षों के काल में या उसके आसपास कृषि-भूमि का एक महत्वपूर्ण भाग सहकारी पद्धति पर संगठित किया जाए। सहकारी पद्धति के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य रखे जाएं, इनका प्रस्ताव योजना के पहले वर्ष में विभिन्न राज्यों से परामर्श कर और विकास-क्रम तथा अनुभव का पर्यवलोकन कर निर्धारित किए जाएंगे।

इसके बाद इसी अध्याय में सहकारी खेती का क्या अर्थ है और सहकारी खेती के बाद ग्राम-विकास किस प्रकार होगा इसकी व्याख्या की गई है ।

इसी काल में नागपुर कांग्रेस का प्रसिद्ध अधिवेशन हुआ जिसमें श्रीजवाहर लाल नेहरू ने सहकारी खेती के पक्ष में जोरदार प्रस्ताव रखा । चौधरी चरणसिंह ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और उनका श्री नेहरू से विरोध सहकारी पद्धति के प्रश्न को लेकर ही उठ खड़ा हुआ । कांग्रेस महासमितियों ने श्री नेहरू का समर्थन किया । और जब जुलाई, 1960 में तीसरी योजना की रूपरेखा निकली, तो संसद ने अपने अगस्त अधिवेशन में उसे मान्यता दी । उस समय श्री जवाहरलाल नेहरू ने योजना के मूल मुद्दों पर संसद में प्रकाश डाला था । जनवरी, 1961 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस पर विचार किया और जून, 1961 की अपनी बैठक में तीसरी योजना के प्रारूप को अपना समर्थन दे दिया । तीसरी योजना के प्रथम अध्याय में इसका शीर्षक 'आयोजित विकास के लक्ष्य' है और जो पं० जवाहर लाल नेहरू की कृति माना जाता है । उन्होंने, इसमें कहा था कि कृषि उद्योगों को विकास की एक ही प्रक्रिया का अन्तरंग भाग माना जाना चाहिए । आयोजित विकास के द्वारा हम उद्योगों के विकास को त्वरित कर सकते हैं और आर्थिक प्रगति में तेजी ला सकते हैं। विशेष रूप से भारी उद्योगों और मशीनी उद्योगों का विकास होना है, सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ाना है और एक बड़े और उदीयमान सहकारी क्षेत्र का निर्माण करना है ।

इसके आगे जब योजना में सहकारिता की चर्चा हुई तो सहकारिता को समाजवाद के साथ जो अब तक देश का लक्ष्य हो चुका था, जोड़ दिया गया। सहकारिता सम्बन्धी प्रस्ताव के प्रारम्भ में कहा गया था कि आयोजित अर्थ-व्यवस्था में जो समाजवाद और लोकतन्त्र के मूल्यों से प्रतिबद्ध है, आर्थिक जीवन की अनेक शाखाओं में सहकारिता को धीरे-धीरे संगठन का मुख्य आधार बनना चाहिए, विशेषतया कृषि और छोटी सिंचाई में, छोटे उद्योगों में और सफाई उद्योगों में, व्यापार में, वितरण में, पूर्ति में, ग्रामीण विद्युतीकरण में, आवास तथा निर्माण में और स्थानीय समुदायों को आवश्यक सुविधाएं देने के प्रावधानों में । मध्यम बड़े उद्योगों में और परिवहन में भी बहुत से कार्य धीरे-धीरे बढ़ाकर सहकारी पद्धति पर किए जाएं । समाज का समाजवादी ढंग, यह मांग करता है कि कृषि, उद्योग और सेवाओं में विकेन्द्रित इकाइयों में बड़ी संख्या का निर्माण हो । सहकारिता में यह गुण है कि इसमें छोटे आदमियों को आजादी और अवसर मिलता है साथ ही साथ बड़े स्तर पर व्यवस्था और संगठन का लाभ भी मिलता है । साथ ही इसे समुदाय की सद्भावना और मदद मिलती है । इस प्रकार तेजी से बढ़ता हुआ एक सहकारी क्षेत्र, जिसमें किसान, मजदूर और उपभोक्ता की आवश्यकता पर विशेष जोर हो, सामाजिक स्थिरता, रोजगार के अवसरों के विकास और त्वरित आर्थिक विकास के लिए एक जीवन्त तत्व हो जाता है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनकाल में सहकारी क्षेत्र कई दिशाओं में प्रगति कर रहा था । पहली योजना में दो गन्ना मिलों ने सहकारी पद्धति पर अपना काम शुरू किया था । सन् 1960-61 में सहकारी पद्धति पर बनी 30 चीनी मिलें काम कर रही थीं । तीसरी योजना में यह प्रावधान किया गया कि 25 और सहकारी चीनी मिलों की स्थापना की जाए, ये उन 11 चीनी मिलों के अतिरिक्त थीं, जिन्हें लाइसेंस मिल चुके थे, पर उत्पादन-कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था । चीनी कारखानों को छोड़कर, 378 अन्य सहकारी कारखाने दूसरी योजना में खड़े किए गए थे । इनमें 84 इकाइयां कपास की गांठ बांधती थी, 109 चावल की मिलें, 20 तेल मिलें, 17 पटसन की गांठें बांधने की थीं, 26 कारखाने मूंगफली की गिरी निकालते थे और 122 अन्य इकाइयां थीं । तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह प्रावधान किया गया कि कच्चे माल की सफाई तथा सेवा करने वाली 783 इकाइयां और खोली जाएं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में एक बड़ा भारी कार्य हुआ जिसके शुभ परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं । बुनकरों को सूत मिल सके और उनका बनाया हुआ कपड़ा बेचा जा सके तथा निर्यात हो, इसके लिए औद्योगिक सहकारी समिति बनाई गई । भारत सरकार ने नवम्बर, 1959 में औद्योगिक सहकारी समितियों के सम्बन्ध में एक संकल्प पारित किया। उसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु, आंध्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में बुनकरों तथा अन्य कारीगरों के सहकारी उद्योग पनपे । तीसरी योजना में यह लक्ष्य रखा गया था कि औद्योगिक सहकारी समितियों की संख्या लगभग 40 हजार हो जाएगी और उनकी सदस्य संख्या 30 लाख होगी । श्रम, आवास तथा सहकारी व्यापार के लिए भी प्रावधान किए गए थे ।

इस प्रकार श्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश में आयोजन का जो दौर चला, उसमें सहकारी आंदोलन के लिए बहुत गुंजाइश थी । केन्द्र सरकार, रिजर्व बैंक, औद्योगिक वित्त निगम तथा अन्य संस्थानों द्वारा सहकारी उद्योगों, सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों को ऋण देने के प्रावधान किए गए ।

श्री नेहरू ने सहकारी आंदोलन को आजीवन प्रोत्साहन दिया । उन्होंने भारत सरकार की खरीद नीति में यह आदेश दिए कि सहकारी समितियों द्वारा तैयार माल को खरीदने में प्राथमिकता दी जाए । यही नहीं, कुछ कपड़ा, जैसे धोती और साड़ी, का निर्माण कपड़ों की मिलों के लिए रोक दिया गया, जिसके परिणाम-स्वरूप हथकरघा उद्योग की साड़ियां तथा बहुत-सा मोटा कपड़ा बिना मिलों की प्रतिद्वन्द्वता के चलने लगा । इसके पीछे उनकी धारणा यही रही थी कि बुनकरों की सहकारियों को प्रोत्साहन दिया जाए। ये आदेश भी दिए गए कि मिलें जो सूत तैयार करें, उसकी एक मात्रा सहकारी समितियों को बेची जाए और इस प्रकार अनेक दिशाओं में सहकारी समितियों का निर्माण हुआ । एक जमाना था जब मथुरा शहर में धोती, दुपट्टे और विशेष तौर पर रामनामी दुपट्टे वहां के उद्योग का एक प्रमुख अंग थे । जो यात्री वहां जाता, कुछ न कुछ खरीदता । परन्तु जब मिलों की प्रतिद्वन्द्वता बढ़ी तो वह धंधा समाप्त हो गया और एक ऐसा समय आया जब नाममात्र को कोई इकाई रह गई जो यह रोजगार करती थी । आज श्री नेहरू की नीति पर चलने के फलस्वरूप जितनी मारकीन राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कारखानों से निकलती है, वह छोटी इकाइयों को दी जाती है और मथुरा शहर में छपाई का उद्योग फिर चालू हो गया है और लगभग 200 इकाइयां रंगीन साड़ियां तैयार करती हैं । इनमें बहुत से सहकारिता के आधार पर अपना माल खरीदती हैं और बेचती हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू की लोकतंत्र में आस्था थी और समाजवाद में । योजनाबद्ध औद्योगिक विकास में उन्होंने इन दोनों का ध्यान रखा और उनका मत था कि इनका समन्वय सहकारी पद्धति द्वारा हो सकता है, जिसमें व्यक्ति की स्वाधीनता भी रहती है और संगठित प्रयास का लाभ भी मिलता है । आज भारत में सहकारिता जो प्रगति कर सकी है, उसका बहुत बड़ा श्रेय पं० जवाहर लाल नेहरू की सूझबूझ और प्रोत्साहन को है । □

परम्परा से चले आ रहे अन्धविश्वास ······ [पृष्ठ 13 का शेषांश]

अपनी बाईं ओर दिखाई दे तो उसे अच्छा शगुन कहते हैं । सांध्य प्रकाश के समय व्यक्ति द्वारा अपनी यात्रा के रास्ते में किसी बन्दर को देखना अच्छा कहते हैं और विश्वास करते हैं कि वह अपने कार्य में सफल होगा ।

भैंस और अंधविश्वास :

बुरा शगुन : यदि दो भैंसे सड़क के दाईं ओर से पार करके बाईं तरफ जाती नजर आए तो इसे अच्छा नहीं मानते हैं ।

अच्छा शगुन : यदि कोई व्यक्ति किसी भैंस या भैंसे को सड़क के दाईं और बैठे या घूमते हुए देखे तो अच्छा शगुन मानते हैं ।

कुत्ता और अंधविश्वास :

बुरा शगुन : कुत्तों को संयोजन की स्थिति में देखना अशुभ माना जाता है । कुत्ते के रोने को अशुभ माना जाता है ।

अच्छा शगुन : किसी कुत्ते द्वारा मुंह में मांस या हड्डी का टुकड़ा लिए सड़क पर नजर आना अच्छा शगुन माना जाता है । सड़क के दाईं ओर किसी कुत्ते का नजर आना ही अच्छा लक्ष्य कहा जाता है । कुत्ते का कूड़े करकट के ढेर पर आराम करते हुए दिखाई देना शुभ मानते हैं । कुत्ते को अपने सिर को खरोंचते हुए देखना शुभ कहा जाता है ।

हरिण और अंधविश्वास :

बुरा शगुन : दो या तीन मृगों का झुंड नजर आना ठीक नहीं कहा जाता है । काला हरिण अकेला नजर आना भी ठीक शगुन की निशानी नहीं कहा जाता है ।

अच्छा शगुन : हरिण (मृग) का सड़क के दाईं ओर नजर आना शुभ मानते हैं इसी तरह तीन या पांच इकट्ठे हरिण (मृग) दिखाई देना शुभ मानते हैं ।

कौआ और अंधविश्वास : बुरा शगुन: शहर के किसी कोने में कोवों का इकट्ठा होना लड़ाई और लेखा की निशानी माना जाता है । किसी घर की छत पर कौवों का इकट्ठा होना किसी दुखित घटना का इशारा माना जाता है । यदि कोई कौवा किसी आदमी के सिर पर बैठे तो ऐसा माना जाता है कि वह गरीब हो जाएगा । यदि कोई कौवा किसी औरत के सिर पर बैठे तो विश्वास किया जाता है कि उसका पति कठिन परेशानियों में पड़ सकता है ।

इन विश्वासों में से कुछ तो इतने बेतुके हैं कि अब अधिकांश लोगों को इनकी सच्चाई पर यकीन नहीं रह गया है । इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और अब धीरे-धीरे ये समाप्त होते जा रहे हैं ।

शकुन्तला धवन
69, भाई परमानन्द नगर
दिल्ली-110009

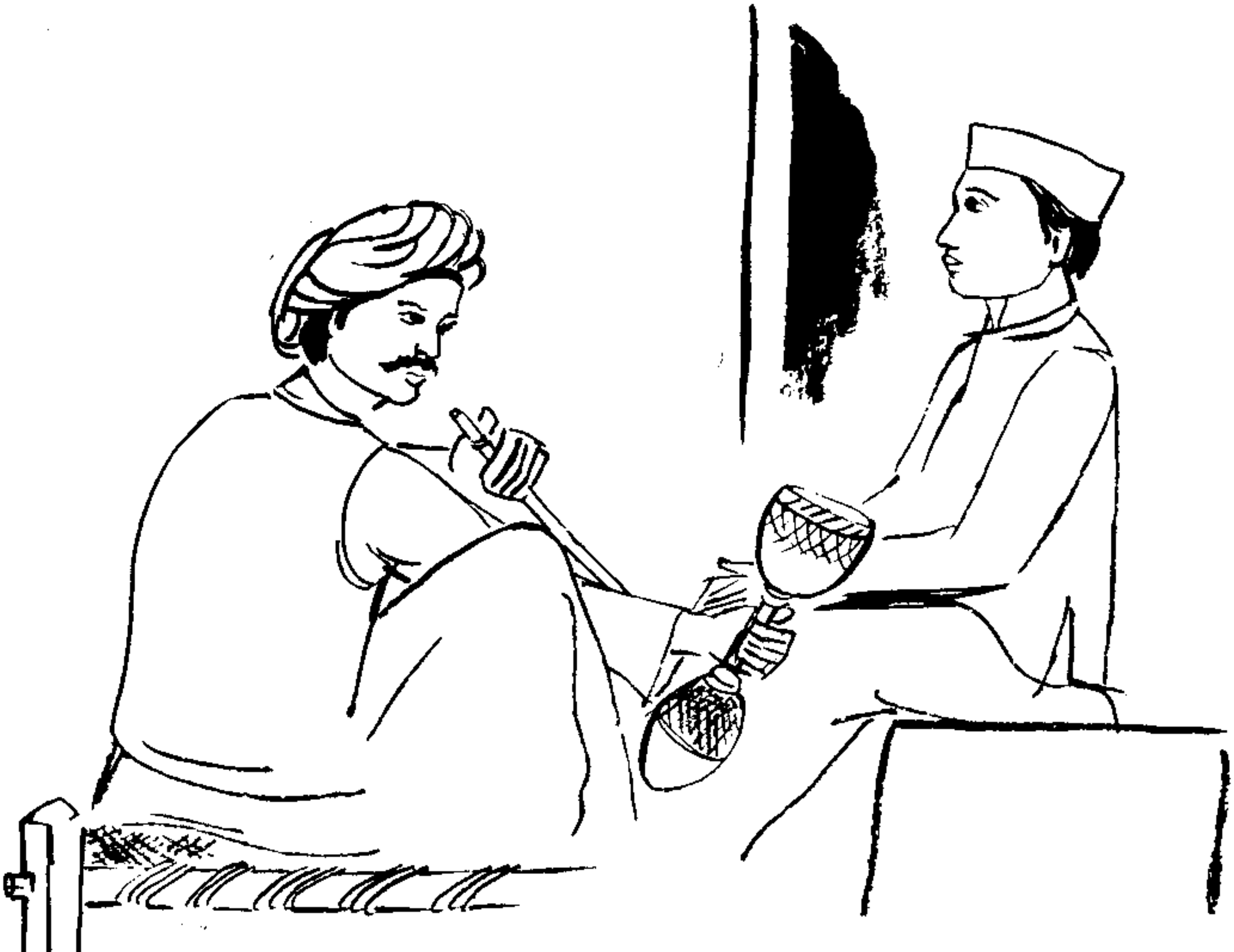

तपस्या

शीतांशु भारद्वाज

हयात सिंह यों ही टहलता हुआ मौलेखाल की ओर निकल आया था। वह एक दुकान पर जाकर चाय पीने की सोच ही रहा था कि सामने से उसे पोस्ट मास्टर साहब ने आवाज दी, मा' साब !

हयात सिंह डाक घर में चल दिया। पोस्ट मास्टर ने उसके हाथ में एक रजिस्ट्री थमा दी, लगता है, इस बार तुम्हारी लाटरी खुल आई है।

मुस्करा कर हयात ने वह खाकी लिफाफा खोल लिया। सचमुच में उसका भाग्य खुल आया था। वह उसका नियुक्ति पत्र था। उसकी नियुक्ति विकास विभाग में लिपिक के पद पर की गई थी। तीन दिन के भीतर उसे जिला मुख्यालय में उपस्थित होने को कहा गया था।

क्यों ? पोस्ट मास्टर साहब ने पूछा।

हां साहब। वह मुस्करा दिया, आखिर भगवान ने सुन ही ली है।

बधाई। पोस्ट मास्टर साहब उसे बधाई देकर अंदर चल दिए।

मौलेखाल से हयातसिंह खुमाड़ गांव की ओर मुड़ गया। उसके पांवों पर पंख उग आए थे। जल्द से जल्द वह रणकुना गांव पहुंच जाना चाहता था। बटिया पर चलते हुए उसके पांव तो आगे बढ़ रहे थे लेकिन मन पिछले चार-पांच वर्षों की ओर भटक रहा था। एक स्थान पर वह ठिठक कर खड़ा हो गया।

वैसाख लग गया था। नयेड़-घाटी में दूर-दूर तक बिखरे हुए सीढ़ीनुमा खेतों में लोग गेहूं की फसल काटने में व्यस्त थे। वह फिर से नाक की सीध में चलने लगा। रणकुना गांव की सरहद पर पहुंच कर थोड़ी देर के लिए उसने सुस्ता लेना चाहा। दस-पंद्रह खेत लांघ कर वह ऊपर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर सुस्ताने लगा।

पांच साल पहले हयात सिंह ने अलमोड़ा डिग्री कालेज से बी० ए० किया था। गरीबी

के कारण वह आगे पढ़ नहीं सकता था। रोजी-रोटी की कोई उम्मीद नहीं थी। उस दिन विद्यालय के बरामदे में एक ओर खड़ा हुआ वह उदासी में डूबा हुआ था।

क्या बात है हयात ? बरामदे से जाते हुए रतूड़ी उसके पास ठिठक गए थे।

कुछ नहीं सर। वह सकपका कर रह गया था।

फिर भी। रतूड़ीजी जैसे उसके मन के भाव जान गए थे। आगे एम० ए० करोगे ?

नहीं सर। उसने सिर हिला दिया था।

तो गांव जाकर खेती-बाड़ी करो, भई। रतूड़ीजी ने उसका कंधा थपथपा दिया था, किसान के बेटे हो।

वह उनके आगे अपनी गरीबी का रोना रोने लगा था, घर पर खेती भी तो पूरी नहीं है, सर। मैं तो कहीं नौकरी करना चाहता हूं।

अरे भाई ! रतूड़ीजी के माथे पर सलवटें उतर आईं थीं, आज के जमाने में नौकरी मिलना आसान तो नहीं है।

इस पर वह और भी उदास हो आया था।

तुम एक काम करो। रतूड़ीजी मुस्करा दिए थे, आज ही रोजगार कार्यालय में जाकर अपना नाम लिखवा लो। इस बीच मैं भी तुम्हारे लिए कुछ सोचूंगा।

उसने उसी दिन जिला रोजगार कार्यालय में अपना नाम लिखवा लिया था। उसके बाद गांव जाने से पहले वह रतूड़ीजी को मिलने चल दिया था।

इसे लेकर जिला शिक्षाधिकारी को मिलो। रतूड़ीजी ने उसे एक पत्र थमा दिया था, शायद तुम्हें पांव टिकाने को कहीं जगह मिल जाए।

उस पत्र को लेकर वह शिक्षाधिकारी के पास चल दिया था।

हमारे पास प्रौढ़ शिक्षक की एक जगह है। शिक्षाधिकारी ने कहा था, वेतन भी केवल पेट भरने को ही है।

कोई बात नहीं सर। उसने उनका आभार प्रकट किया था, मैं कर लूंगा।

आपको हम एक ऐसे गांव में भेज रहे हैं जहां से अच्छे-अच्छों के पांव उखड़ गए। शिक्षाधिकारी ने कहा था।

आपके आशीर्वाद से मैं वहां पांव जमा लूंगा, सर। उसने निवेदन किया था।

आदमी का आशीर्वाद उतना काम नहीं आता नौजवान। शिक्षाधिकारी कुछ गंभीर हो आए थे, तुम्हें अपने ही बल बूते पर पांव जमाने होंगे। अपनी तप-तपस्या से ही सफलता प्राप्त करनी होगी।

जी, मैं हर संभव प्रयत्न करूंगा।

ठीक है। शिक्षाधिकारी ने उसे रणकुना गांव के प्रौढ़-शिक्षा केन्द्र में प्रौढ़-शिक्षक का नियुक्ति पत्र पकड़वा दिया था।

हयात सिंह उसी दिन इस क्षेत्र में आ गया था। आते ही उसने यहां के ब्लाक आफिस में आकर रणकुना गांव के बारे में पूछताछ की थी।

वह तो तुला राशि का गांव है, भाई। बूढ़े बड़े बाबू उसे निराश करने लगे थे, हर कोई सरकारी कर्मचारी वहां जाने में कतराता है।

ऐसी भी क्या बात है बड़े बाबू ? उसने कारण जानना चाहा था।

वह तो सारा गांव लठैत है। बड़े बाबू बोले थे, उसे सुधारना किसी के वश का नहीं है। वहां तो लट्ठ की कानून है।

हयातसिंह ने हिम्मत हारना सीखा ही नहीं था। उसी शाम पूछते-पाछते हुए वह रणकुना गांव आ गया था। वह नंबरदार के घर जा पहुंचा था।

अरे मास्टर। नंबरदार धर्मा काका ने उसकी सारी योजना को चुटकियों में उड़ा दिया था, तुम तो बेकार चले आए। यहां सिकिसा का क्या काम ?

वह सिर खुजला कर ही रह गया था। उसी समय वहां बिरजू पहलवान आ गया था। आते ही उसने जमीन पर लट्ठ बजाया था, कहो काका ?

वह चुपचाप अपना-सा मुंह लेकर उनके घर से चलने लगा था।

नहीं रे। सारा गांव बंध जाएगा। पीछे से उसे धर्मा काका का स्वर सुनाई दिया था, सिरकारी आदमी है।

हयातसिंह ने गांव के सभापति के साथ भी सिर खपाया था। सभापति का दो टूक उत्तर था, बड़े-बड़े सुधारक यहां आए लेकिन किसी की भी दाल नहीं गली।

रणकुना गांव में रहते हुए हयातसिंह को सप्ताह भर हो आया था। लोग उसे खाने-पीने को देते परन्तु प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर अंगूठा दिखला देते। बिरजू पहलवान के बारे में भी वह बहुत कुछ सुन चुका था। उसकी कद-काठी और लंबी मूंछों को देखकर उसकी उससे बात करने की हिम्मत ही नहीं होती थी।

उस दिन भी वह इसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ निराशा से घिरा हुआ था। तभी नीचे से सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए हुए वहां बिरजू पहलवान आ गया था। वह अंदर-ही-अंदर कांप गया था।

ला हो मास्टर, कोई बीड़ी-सीड़ी है ? बिरजू ने वहीं एक ओर सिर का गट्ठर उतारते हुए कहा था।

मैं बीड़ी नहीं पिया करता पहलवान। उसने कहा था।

हूं। हुंकार भरकर बिरजू ने उससे पूछा था, तो खोल लिया सिकिसा केन्द्र ?

नहीं पहलवान। उसने मुंह लटका कर कहा था, जब कोई जगह ही नहीं देगा तो खुलेगा कैसे ?

फिर ?

एक आध दिन में गांव से चल दूंगा। वह बोला था।

यहां जितने भी मास्टर आए, सभी को बोरिया-बिस्तर बांधकर जाना पड़ा मास्टर। बिरजू ने कहा था। उसके बाद उसने पूछा था, क्यों भैया, इससे क्या फायदा होगा ?

फायदे ही फायदे हैं पहलवान। वह फिर से प्रौढ़ शिक्षा का महत्व समझाने लगा था, लोग अपनी चिट्ठी पत्तरी पढ़-लिख लेंगे। खाली समय में रामायण, महाभारत बांचा करेंगे, अखबार पढ़ने लगेंगे।

हूं। हुंकार भर कर बिरजू पहलवान ऊपर गांव की ओर चल दिया था। वह मुंह ताकता ही रह गया था।

बिरजू घर पहुंचकर कुछ सोच-विचारों में पड़ गया था। उसने उसके पास अपना लड़का भेजा था। वह उसके घर गया तो

वहां उसके लिए खाट पर दरी बिछा रखी थी। वह उसी पर बैठ गया था।

तंबाकू तो नहीं लेते न मास्टर। हाथ में हुक्का लेकर बिरजू वहीं नीचे जमीन पर बैठ गया था।

नहीं, मैं कोई भी नशा नहीं करता।

ठीक। बिरजू हुक्का गुड़गुड़ाने लगा था। मिनटों में ही वह महा दानी बन गया था। उसने कहा था, सिकिसा केन्द्र के लिए मैं तुम्हें अपना पुराना वाला मकान देता हूं।

पहलवान। वह गदगद हो आया था।

हां पर मुझे क्या फायदा होगा ? बिरजू ने पूछा था।

पोथी बांचना सीख जाओगे, पहलवान ! वह मुसकरा दिया था।

रणकुना गांव में हयात की दाल गल गई थी। पांव जमाने के लिए उसे जगह मिल गई थी। बाद में उसे पता चला कि बिरजू के कारण ही कोई उस गांव में नहीं टिक पा रहा था। अगले सप्ताह उसने जिला मुख्यालय को अपनी सफलता की रिपोर्ट भेज दी थी। इस पर उसे शासन की ओर से बहुत-बहुत शाबाशी मिली थी।

रणकुना गांव में प्रौढ़-शिक्षा केन्द्र खुला तो कई स्त्री-पुरुषों को ज्ञान मिलने लगा। बिरजू पहलवान भी नियमित रूप से अक्षर-ज्ञान करने लगा। बहुत जल्द ही वह अखबार और पंचायती राज के कायदे-कानून भी बांचने लगा। दिन बीतते रहे। पिछले वर्ष के चुनाव में बिरजू को सर्व सम्मति से गांव पंचायत का सभापति भी चुन लिया गया। अब वह पचायत के फैसले भी अपनी ही कलम से लिखा करता है। आस पास के गांवों में भी उसका काफी आदर है।

दोपहर ढलने को थी। हयात की आंखें नीचे की बटिया पर जा लगीं। उधर से बिरजू सिंह आ रहा था। उसने कुर्ते के ऊपर जवाहरकट पहन रखा था। ऐसे में वह नेता-सा लग रहा था। उसके सिर पर गेहूं का गट्ठर था। हयातसिंह अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ।

मास्टरजी, राम-राम। आते ही बिरजू सिंह ने उसे अभिवादन किया।

राम-राम साहब। हयातसिंह मुसकरा दिया।

तो आप सचमुच ही जा रहे हैं। बिरजू सिंह ने पूछा।

हयातसिंह आश्चर्य में पड़ गया। वह नहीं समझ पा रहा था कि उसके बारे में उन्हें कैसे मालूम ? वह यों ही सिर खुजलाने लगा।

हमें सब मालूम है मा'साब। ऊपर से हमें भी तो पत्र आया है। कह कर बिरजूसिंह ने अपनी जवाहरकट की जेब से एक खाकी लिफाफा निकाल कर उसे हयातसिंह को थमा दिया।

वह जिला शिक्षाधिकारी का पत्र था। सभापति को उन्होंने हयातसिंह की सेवाओं की प्रशंसा करते हुए लिखा था कि अब उसे जिला मुख्यालय में बुलवाया गया है। गांव को उसकी सेवाएं न मिलने पर उन्होंने खेद प्रकट किया था।

जाना ही होगा सभापति साहब। हयात सिंह बोला, पक्की नौकरी का मामला है।

हां भई, खुशी-खुशी जाओ। खूब फलो-फूलो। बिरजूसिंह का गला भर आया, पर हम लोगों को न भूल जाना।

हाय। आपको और इस गांव को कैसे भूल सकता हूं भला। हयातसिंह मुसकरा दिया, यह तो मेरी तपस्या की भूमि रही है।

दोनों बतियाते हुए ऊपर गांव की ओर जाने लगे।

आज गांव वाले आपको विदाई दे रहे हैं। बिरजूसिंह ने उसे सूचित किया।

इसकी क्या जरूरत थी साहब ?

जरूरत थी, तभी तो। बिरजूसिंह मुस्करा दिया, शाम को हम लोग आपको लेने आपके पास आएंगे।

गांव का दोराहा आ गया था। उधर से बिरजूसिंह अपने घर की ओर चल दिया। हयातसिंह भी अपने कमरे की ओर मुड़ गया।

तीसरे पहर सारे रणकुना गांव में चहल-पहल हो आई थी। गांव के बीचों-बीच पंचायत घर को फूल-पत्तियों से सजाया गया था। वहां गांव पंचायत की ओर से हयातसिंह को विदाई दी जा रही थी। एक छोटा सा मंच भी बनाया गया था। सभा का सभापतित्व खुद बिरजूसिंह कर रहा था। हयातसिंह का गला फूल मालाओं से भर गया था। सभी तो उसके प्रति अपना प्यार दिखला रहे थे। उसे मान पत्र के साथ एक शाल भी भेंट की गई। मान-पत्र पढ़ते समय बिरजूसिंह की आंखों में गंगा-जमुना बहने लगी। हयात सिंह की आंखें भी गीली हो आईं। जब उससे बोलने को कहा गया तो उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाया। दोनों हाथ जोड़ कर, सिर नवाकर ही वह मंच से हट गया।

भोज के बाद हयातसिंह अपने कमरे में आ गया। धीरे-धीरे रात भी घिर आई। हयातसिंह को नींद नहीं आ रही थी। सुबह उसे इस गांव से चल देना था। बिस्तर पर वह निरन्तर करवटें बदलता जा रहा था। उसकी समझ में नहीं आ पा रहा था कि इन पिछले पांच वर्षों में तपस्या करते-करते वह अधिक तपा है या बिरजूसिंह। □

50, विद्या विहार,
पिलानी (राज०-333031

बकरी पालन एक लाभदायक धन्धा – – – –

[पृष्ठ 17 का शेषांश]

महीने बाद बकरी को डाक्टर की सलाह से कीड़े निकालने वाली दवा दी जानी चाहिए। और चौथा रोग होता है 'पैरपका' इसके कारण बकरी लंगड़ाती है। नीला थोथा (कापर सल्फेट) के घोल में पैर की धुलाई और सफाई हो जाए तो उत्तम रहता है।

प्लूरोनिमोनिया की बीमारी भी बकरियों में होती है। यह विशेषतः भीड़ के कारण होती है। जब बकरियां ऐसे स्थान पर बांधी जाएं जिसमें हवा और धूप की पर्याप्त व्यवस्था न हो तथा वह स्थान कम पड़ता हो तो उस दूषित वातावरण में यह बीमारी होती है। प्लूरोनिमोनिया की चिकित्सा भी डाक्टर की सलाह से करनी चाहिए। इसके लिए सी० सी० पी० पी० का टीका अत्यन्त प्रभावी होता है। □

कनिष्ठ व्याख्याता
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
जोबनेर (जयपुर) राजस्थान-303329

और शहनाई बज उठी

मदन मोहन 'कमल'

पात्र परिचय :

सन्तोष—एक शिक्षित युवती, रुलिया—सन्तोष का पिता, एक ग्रामीण वृद्ध, जितेन्द्र—रुलिया का भावी दामाद, सालग—जितेन्द्र का पिता, बारु, साधु—ग्रामवासी, सोमदत्त पंडित, लच्छी, दौलता—जितेन्द्र के बाराती।

(ग्राम का एक छोटा-सा कच्चा मकान जिसकी कच्ची दीवारों पर चूने की लिपाई अभी की, प्रतीत होती है। मकान के अन्दर आंगन है जिसमें कागज की एक रंग-बिरंगी बंदनवार दीवारों के साथ-साथ व सहन में से गुजरती हुई बंधी है। कुछ मूंज की चटाईयां व टाट की बोरियां आंगन में बिछी हैं। वेदिका बनी हुई है। घर के अन्दर स्त्रियों के गाने व ढोलक की आवाज आ रही है। आंगन में रुलिया तथा साधु चलते फिरते बातचीत कर रहे हैं।)

रुलिया : पंडित आ गया, भाई बारु।

बारु : नहीं, अभी नहीं आया। मैं अभी गया था उसके पास, अभी आने वाला है।

साधु : भाई जल्दी करो। फेरों का वक्त निकल जाएगा। बारात को बुलाकर नाई कब का वापिस आ गया है।

बारु : (पंडित को आते देखकर) राम-राम पंडित जी।

सोमदत्त : राम-राम भाई। अरे, भाई साधु, बारात वालों को कह कर आ कि जल्दी आएं। टाइम निकल जाएगा। फिर क्या फायदा।

बारु : नाई गया था, कब का कह कर आ गया है।

साधु : भाई, वे भोजन करके भी देर से गए हैं। आराम कर रहे होंगे बेचारे। बिस्तर आदि बिछा रहे होंगे।

सोमदत्त : नहीं, भाई, दोबारा जाकर आओ? क्या पता कुछ और बात न हो गई हो।

रुलिया : जा भाई साधु, तू ही जा!

(बारु का प्रस्थान और थोड़ी देर बाद वापसी)

बारु : बारात तो आ गई। (तभी बाजे के साथ बारात आ जाती है। बाजे वाले रुकते हैं और सालग, जितेन्द्र तथा अन्य बाराती चटाइयों, बोरियों आदि पर बैठ जाते हैं। पंडित वेदिका आदि ठीक करता है और नत्थू सब सामान लाकर पंडित के आगे रखता जाता है। पंडित रुलिया, सालग और जितेन्द्र से पूजन कराता है। अन्दर स्त्रियों का मंगलगान जारी है। फिर सोमदत्त अग्नि प्रज्वलित करता है। और जितेन्द्र को हवन-सामग्री की आहुतियां डालने को कहकर मन्त्रोच्चारण करने लगता है)

सालग : (बीच में ही) ठहरो पंडित जी, रख रे लड़के कड़छा।

सोमदत्त : क्या बात है लाला जी।

सालग : मुझे लाला जी से दो बातें कर लेने दो। (रुलिया से) लालाजी भांवरे बाद में होंगी, पहले मेरी बात सुन लो।

रुलिया : हां लाला जी, कहो।

सालग : लाला जी भावरें तब होंगी, जब पांच सौ रुपए नकद, एक रेडियो और एक साईकल लड़के को मिले। नहीं तो हम चले। चल बे उठ जितेन्द्र।

रुलिया : लाला जी, देखो (हाथ जोड़ते हुए) मैं तुम्हारी काली गऊ। देखो मैं बूढ़ा आदमी, एक छोटी सी दुकानड़ी में दर्जी का काम करके रोटी का गुजारा करता हूं। खाने का तो गुजारा नहीं चलता, लड़की का विवाह तो कहां से कर लेता। यह तो गांव के चार भाइयों ने अनाज आदि देकर मदद कर दी, कि लड़की के हाथ पीले कर दें।

सालग : तेरी लड़की नौकरी करती है, तनखाह लाती है। उसने भी कुछ सहारा लगाया ही होगा।

रुलिया : नौकरी ही कबसे लगी है। छः महीने तो नौकरी को नहीं हुए और फिर ट्रेनिंग इसने नहीं कर रखी है।

सालग : यह तेरा भाई बारु क्या सहारा नहीं लगाता होगा।

रुलिया : यह बेचारा क्या सहारा लगाता । चार लड़कियां हैं बेचारे के घर ब्याहने को ।

सालग : कुछ भी हो लाला जी, पांच सौ नकद, रेडियो और साईकल से कम बात नहीं होगी । तुम्हें मंजूर है तो शादी करो, वरना हम चले ।

रुलिया : (कांपते स्वर में) यह टोपी मेरे सिर की आपके पांव में । मेरी इज्जत रख लो। दस आदमियों में मेरी नाक मत काटो । तुम भी औलाद वाले हो ।

सालग : भाई तुझे कह दिया एक दफा, दस दफा कहला ले इससे कम तो बात नहीं बनती ।

जितेन्द्र : पिता जी आप इन्सानियत से गिरते जा रहे हैं । क्या आपके पास दौलत की ......।

सालग : (बीच में ही) चुप बे । बड़ा आया चौधरी बनकर, घर में बड़ा मैं हूं या तू । (रुलिया से) हां लाला जी, बोलो ।

रुलिया : मुझे में हिम्मत नहीं, लाला जी ।

सालग : तो मुर्ख, तुझे कहा किसने था अपने से बड़ी हैसियत वाले के घर रिश्ता करने को । दुष्ट अपनी तो कोई इज्जत है ही नहीं, अपने घर बुलाकर मेरी भी नाक कटाई । अब इस झोंपड़ी का सौदा लिख, वरना हम जाते हैं ।

रुलिया : (माथा पीटकर) लो, फूट गई किस्मत। इस लड़की के हाथ पीले क्या होंगे, मुझे पूरी तरह मलियामेट करके घर से भी बाहर करके जाएगी । मुझे पता होता तो मैं पैदा होते ही इसका गला घोंट देता । (बौखला कर उठता है) कहां है वह चाण्डालिनी । (अन्दर जाकर दुल्हन बनी संतोष का दोनों हाथों से गला पकड़ कर घसीटता हुआ बाहर लाता है) बोल, अब गला घोंट कर इस आग में झोंक दूं ।

सन्तोष : बेशक, पिता जी, इस विवाह से तो आप मुझे अपने हाथ से गला घोंटकर मार दें । (रोती है) ।

साधु : यह क्या करता है रे रुलिया ? (साधू, बारु संतोष को रुलिया से बचा लेते हैं और बारु सन्तोष को अन्दर ले जाता है ।

सालग : अच्छा भाई रुलिया, हम तेरा घरबार, पैसा, रेडियो, साईकल आदि कुछ नहीं लेते । हम जा रहे हैं । (उठता है । जितेन्द्र के सिवा सब बाराती उठते हैं । सालग जितेन्द्र को घसीटकर उठा लेता है ।)

बारु : कहां चले लाला जी ।

सालग : तू कौन है हमें रोकने वाला । (बारु को धक्का देता है) । नेपथ्य से कई स्वर एक साथ : यह हम तुम्हें अभी बताते हैं । (आठ-दस लठैतों का प्रवेश)

एक लठैत : पंडित जी, इन लोगों की देरी का कारण हम समझ गए थे, इसलिए तैयार होकर आए हैं।

सोमदत्त : (सालग से) लाला तू आदमी है राक्षस । यह बेचारा तेरी धमकी से घबरा कर लड़की को मारने लगा था ।

सालग : (कम्पित स्वर में) खैर पंडित जी, तुम रेडियो व साईकल पर ही मामला तय कराओ, पांच सौ रुपए नकद न सही । (चुपके से पंडित जी का हाथ दबाता है)

सोमदत्त : मैं मजबूर हूं, लाला जी, आपकी दक्षिणा से मुझे अपने गांव की इज्जत ज्यादा प्यारी है । मुझे हमेशा इन्हीं लोगों के बीच रहना है । इनका सुख-दुख मेरा सुख-दुख है ।

बारु : लाला जी, आप लड़के की शादी की रस्म पूरी कराना चाहते हैं या अपनी मरम्मत कराएंगे । अगर आप ऐसा ही कमीनापन दिखाने पर तुले हुए हैं, तो यहां से लहू-लुहान होकर वापस जाएंगे ।

सोमदत्त : यह मत भूलिए लाला जी, इस समय रुलिया व उसकी लड़की की इज्जत सारे गांव की इज्जत है । रुलिया आज अकेला नहीं, सारा गांव इसका परिवार है ।

सन्तोष : (बाहर आकर) पंडित जी, आप इन लाला जी को बारात सहित वापिस जाने दीजिए । मैं इन दुल्हा महोदय से विवाह नहीं करूंगी ।

बारु : बेटी, तेरा अब बीच में आकर बोलने का कोई काम नहीं । अन्दर जा ।

संतोष : क्षमा करें ताऊ जी, मेरा निर्णय अटल है ।

सोमदत्त : पर क्यों ?

सन्तोष : क्योंकि इन लोगों को मेरी नहीं, रुपयों, रेडियो, साईकल की जरूरत है ।

सालग : मैं कुछ रियायत कर चुका हूं, अब कुछ और. . .

सन्तोष : मुझे रियायत व दया की भीख नहीं चाहिए। यहां दया दिखाकर आप मुझे ब्याह ले जाएंगे, पर आपके घर से मैं जीवित वापिस नहीं आऊंगी। अपना गुजारा करने की योग्यता मुझ में है। शिक्षिता हूं, कशीदा-कारी आदि से भी अपना गुजारा कर सकती हूं ।

सोमदत्त : लड़की बिल्कुल ठीक कहती है, भाई रुलिया । अब वह समय नहीं, जो लड़की को पशु समझकर उसके गले में बंधा रस्सा किसी को भी थमा दिया जाए ।

रुलिया : लाला जी मैं आपको दहेज दे सकने के काबिल नहीं। आप चाहें तो शादी की रस्म पूरी कराएं, वरना आपकी इच्छा है ।

बारु : आपको अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज कहीं भी मिल सकता है ।

सालग : मगर हम अपना हरजाना पूरा करके जाएंगे ।

रुलिया : यह मेरे बस की बात नहीं । मैं सिर्फ लड़की के

सकता हूं । दहेज नहीं ।

सोमदत्त : भाई रुलिया, तूने रिश्ता छांटने में बहुत गलती की है ।

रुलिया : पंडित जी मैंने इनके घर रिश्ता इसलिए किया था कि यह पढ़ी-लिखी हुनरदान लड़की भरे पूरे घर में सुखी रहेगी ।

साधु : पर क्या तब तूने इनका स्वभाव नहीं परखा था ?

रुलिया : पंडित जी, वहां तो इन्होंने कोई मांग नहीं रखी थी ।

सोमदत्त : क्योंकि अपने शहर में लाला जी को अपनी इज्जत का डर था । यहां अपनी इज्जत महफूज समझकर इन्होंने तेरी गर्दन मरोड़नी चाही।

सालग : नहीं, पंडित जी हम भी औलाद ......।

सोमदत्त : रहने दीजिए, लाला जी, अब आप कुशलपूर्वक घर लौट जाइए । यहां शादी नहीं होगी । किसी और जगह जाकर किसी गरीब की झोंपड़ी नीलाम कराइए ।

जितेन्द्र : मैं इस घर से खाली हाथ नहीं, विवाह कराकर जाऊंगा, वरना यहीं आत्महत्या कर लूंगा ।

सन्तोष : क्षमा करें मैं आप का वरण नहीं कर सकती । आप किसी और जगह विवाह करके अपने पिता जी की चाह पूरी कीजिए ।

जितेन्द्र : नहीं, नहीं, नहीं । मुझे एक दृढ़ निश्चय वाली जीवन-संगिनी की जरूरत है, जो कि केवल तुम हो । मैंने तुम्हें अभी परख लिया है । यह अवसर मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा ।

सन्तोष : मैं आपकी इस भावना का सम्मान करती हूं । किन्तु मेरे पिता जी का जो अपमान अभी हुआ है, उन जैसे दूसरे गरीबों के प्रति ऐसा न हो, इसलिए गला घोंटकर या मिट्टी का तेल छिड़ककर मारी जा रही अबलाओं को एक सम्मान देना चाहती हूं, रक्षा आत्म-सम्मान की । एक प्रजातांत्रिक देश में सम्मान की जिंदगी जीने की प्रेरणा ।

जितेन्द्र : आपने मुझे एक नई प्रेरणा दी है । मुझे यदि जीवन-संगिनी पानी है तो निरंकुश धनी पिता से नाता तोड़कर मानवता से नाता जोड़ना होगा । शिक्षित होने की सार्थकता आपने मुझे समझा दी, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

सन्तोष : किन्तु वैभव-विलास के वातावरण में पले आप किसी गरीब की झोंपड़ी में कैसे रह सकेंगे ? मानवता का निवास तो झोपड़ियों में है, हवेलियों में नहीं । हम गरीब की रूखी-सूखी रोटी खा सकेंगे आप ?

जितेन्द्र : यह आपकी झोंपड़ी मेरे पिता की हवेली से और आपकी रूखी-सूखी रोटी मेरे पिता के विविध पकवानों से कहीं अधिक सुखमय है ।

सन्तोष : मेरे साथ रह कर आप बेसहारा व बेरोजगार हो जाएंगे ।

जितेन्द्र : हम दोनों मेहनत मजदूरी से गुजारा चलाकर भी संतुष्ट रहेंगे ।

सन्तोष : तो क्या आप मुझसे विवाह करना ही चाहते हैं ?

जितेन्द्र : जरूर । आपकी हर जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं । मेरे होते किसी की मजाल नहीं जो आपकी तरफ आंख भी उठा सके ।

सालग : क्या बकता है लड़के ?

जितेन्द्र : मैं बिलकुल ठीक कह रहा हूं पिता जी । पति को पत्नी की रक्षा की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है ।

सालग : घर में बड़ा तू है या मैं ?

जितेन्द्र : बड़े आप बेशक हैं लेकिन सन्तोष जी का विवाह मुझसे हो रहा है आपसे नहीं । इनकी जिन्दगी की जिम्मेदारी इतने लोगों के आगे मैं लूंगा, आप नहीं ।

सालग : तो याद रख, मेरे घर में घुसने की हिम्मत न करना घर का मालिक तू नहीं, मैं हूं ।

जितेन्द्र : बड़ी अच्छी बात है, पिता जी । मेरा गुजारा तो इन गांव वालों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर भी चल जाएगा ।

सालग : मैं जायदाद से सम्बन्धित तेरे सारे हक छीन लूंगा ।

जितेन्द्र : बड़ा एहसानमंद हूं मैं आपका, यदि आप मेरा यह सिर दर्द भी दूर करेंगे । वैसे वंशगत जायदाद में मेरा हक आप कानूनन छीन नहीं सकते ।

सालग : नालायक, तू पैदा होते ही मर जाता तो अच्छा था ।

जितेन्द्र : क्योंकि आप तो मेरे पालन-पोषण, पढ़ाई-लिखाई का खर्च किसी लड़की वाले की गर्दन मरोड़कर वसूल करना चाहते थे ।

सालग : (क्रोध से उफन कर) तुझे बाप से बदतमीजी करते हुए शर्म नहीं आती ।

जितेन्द्र : बाप इन्सान हो, तभी तो शर्म आएगी, दैत्य हिरण्यकश्यप से कैसी शर्म ।

सालग : तो दुष्ट, मर यहीं, मैं जा रहा हूं । (जाने लगता है) ।

लच्छी : सालगराम, तुम हम सबका जनाजा निकलवा रहे हो ।

दौलता : अपनी सूदखोरी व मुनाफाखोरी के कारण तुम कस्बे में मशहूर हो, इसी कारण कोई अमीर घर का रिश्ता तुम्हारे घर नहीं आया, जिसके नतीजे के तौर पर तुम्हें यह रिश्ता मानना पड़ा ।

लच्छी : अब अपने साथ हमारी भी मिट्टी पलीद कर रहे हैं । हमारे चुप रहने का मतलब यह नहीं कि हम मूर्ख या डरपोक हैं ।

दौलता : हम यहां से दुल्हिन को लिए बिना नहीं जाएंगे।

बारु : हम लड़की को इनके घर नहीं भेज सकते। लड़के ने शादी करानी है तो यह हमारे पास ही रहेगा (लच्छी सालग के कान में कुछ कहता है)।

सालग : बेटी सन्तोष, तू एक समझदार लड़की है। मेरी बिगड़ी बात तू ही बना सकती है।

सन्तोष : आप बुजुर्ग हैं, मेरे पिता के समान हैं, किन्तु आपने पिता जी का अपमान किया है, इसलिए इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं इनसे विवाह कर लूंगी, पर आपके घर नहीं जाऊंगी।

दौलता : बेटी फिर भी तुझे हमारी इज्जत का हमदर्दी से विचार करना चाहिए।

साधु : अब आपको इज्जत का खयाल आ रहा है। जब इस सालग ने इस बेचारे रुलिया को दबाया तब तो इज्जत नहीं गई।

लच्छी : (गिड़गिड़ाकर) हमसे भूल हुई।

सोमदत्त : चलो छोड़ो, सुबह का भूला शाम को घर वापिस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते।

सालग : बेटी, सन्तोष, मुझे क्षमा कर। मुझ बूढ़े की यह पगड़ी तेरे पांवों में है। मेरी लाज रख ले बेटी, वरना मुझे जहर खाकर या कहीं डूबकर मरना पड़ेगा। (पगड़ी सन्तोष के पांव पर रखने लगता है)।

सन्तोष : (पांव हटाते हुए) यह क्या करते हैं आप। विवाह के बारे में तो पिता जी से ही बात कीजिए, जिन्होंने आपके पांव में टोपी रखकर दया की भीख मांगी थी।

सालग : रुलिया राम जी, मुझे क्षमा करो। मेरी इस पगड़ी की लाज रख लो। (पगड़ी रुलिया के पांव में रखने लगता है)।

रुलिया : (पांव हटाते हुए) यह क्या करते हो लाला जी। लड़की मान जाए तो मुझे क्या एतराज है।

सोमदत्त : लड़की ने तो स्वीकृति दे दी है, पर अगर सालग राम लड़की की जीवन-रक्षा की जिम्मेदारी लें तभी यह विवाह होगा। वरना नहीं। लड़की ने स्वीकृति दी है, प्रतिज्ञा नहीं की है, कि वह विवाह अवश्य करेगी।

सालग : मैं इस अग्नि की कसम खा कर कहता हूं कि इस लड़की को मेरे घर में किसी किस्म का संकट नहीं होगा।

जितेन्द्र : किन्तु सन्तोष जी का विवाह मेरे साथ होगा, इनके सम्मान व जीवन-रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। इनके प्रति कोई बदसलूकी होने पर मैं स्वयं इन्हें साथ लेकर संयुक्त परिवार से अलग हो जाऊंगा। यह जीवन साथी का प्रण है।

सोमदत्त : लो भई, सत्य की जीत हुई। मेरा गांव विजयी हुआ। समझौता हो चुका। अब शहनाई बजाई जाए।

(बारु शहनाई वाले को कहने बाहर जाता है) शहनाई बजती है। हवन प्रारम्भ होता है। □

जाग उठा गांव

जाग उठा सोया था गांव
रूढ़ियां अब टूटती सी
जा रही हैं
खेत में श्रम से जवानी
गा रही है
पनघट पर ममता के गांव
जाग उठा सोया था गांव
खुल गई घर-घर में
ज्ञान की किताब
पढ़ें और बढ़ने का
करें हम हिसाब
पीपल की घनी-घनी छांव
जाग उठा सोया था गांव
जात-पांत, छुआछूत
तोड़ें हम
बन्धु भाव फिर से अब
जोड़ें हम
खुशियों से भर जाएं ठांव
जाग उठा सोया था गांव

डा० जमना प्रसाद 'जलेश'

साहित्य समीक्षा

हिन्दू धर्म : लेखक : वियोगी हरि, प्रकाशक : सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या : 58, मूल्य : 3 रुपये।

हिन्दू धर्म विषयक विशालकाय ग्रंथों के मन्थन द्वारा नवीनतम रूप में सार प्रस्तुत करके श्री वियोगी हरि ने हिन्दू धर्म के जिज्ञासुओं पर बहुत बड़ा उपकार किया है। प्रस्तुत पुस्तक में हिन्दू धर्म क्या है, इस पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने पुस्तक को दस उपविषयों में बांटा है। सबसे पहले हिन्दू शब्द की व्युत्पत्ति एवं परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। दूसरे भाग में हिन्दू धर्म को समझाने के लिए हिन्दू संस्कृति एवं हिन्दू दर्शन का परिचय दिया गया है। तीसरे भाग में हिन्दू सभ्यता और संस्कृति का वैदिक आधार प्रस्तुत करके लेखक ने वेदों की सार्वभौम और सार्वकालिक प्रार्थनाओं का महत्व बताया है। चौथे भाग में वेदों में मानवीय पक्ष पर सोदाहरण विचार उपस्थित किए गए हैं। मानवीय भावनाओं के पक्ष में अगले तीन भागों में खुलकर विचार किया गया है। यहां वेदों, श्रुतियों, पुराणों, रामायण, महाभारत आदि के उदाहरण देकर लेखक पाठकों के मन में इन ग्रंथों के प्रति भी एक जिज्ञासा पैदा करने में समर्थ हुआ है। आठवें भाग में धर्म के सामान्य लक्षण बताए गए हैं। अन्य ग्रंथों में उल्लिखित धर्म के लक्षणों का भी विवरण दिया गया है। नवें भाग में सगुण साकार-उपासना के मार्ग को प्रस्तुत किया गया है। इसी भाग में भक्ति के प्रकार, ज्ञान-मार्ग आदि विषयों को भली-भांति समझाया गया है। अन्तिम भाग में हिन्दू धर्म की मूल बातों का परिचय देते हुए लेखक हिन्दू होने पर गर्व करता है। "हिन्दू धर्म वास्तव में ऐसा मानव धर्म है, जो आज की संघर्षरत दुनिया को सही रास्ता दिखा सकता है।" लेखक के इन अन्तिम शब्दों से पुस्तक की महत्ता समझ में आ जाती है। आधुनिक परिवेश में ऐसी नीतिपरक पुस्तकें अतीव आवश्यक हैं।

पुस्तक पठनीय एवं संग्रहणीय है।□

हरिवंश अनेजा

भारतीय चिन्तन परम्परा : लेखक : के० दामोदरन, प्रकाशक : पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या : 536, मूल्य : 60 रुपये सजिल्द, 35 रुपये साधारण।

भारत में दार्शनिक विचारों का उद्‌गम स्रोत आरम्भिक उपनिषदों तथा ऋग्वेद के सूक्तों में देखा जा सकता है। कुछ विद्वानों ने भारतीय दर्शन को केवल आदर्शवाद के रूप में ही स्वीकार कर लिया है। पर यदि निष्पक्ष रूप से भारतीय दर्शन का विवेचन किया जाए तो यह बात स्पष्टतः परिलक्षित होगी कि इसमें विविध एवं परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां मौजूद हैं। इसमें आदर्शवाद भी है और भौतिकवाद भी। प्रस्तुत पुस्तक में विद्वान लेखक तथा चिंतक के० दामोदरन ने भारत के सामाजिक तथा दार्शनिक चिन्तन की वस्तुनिष्ठा एवं वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने का स्तुत्य प्रयास किया है।

लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि दर्शन भी जनता के जीव की सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करता है। भारतीय दार्शनिक चिन्तन परम्परा में भौतिकवाद के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए निष्पक्षता के साथ भारत की दार्शनिक परम्परा का यथार्थ मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है और के० दामोदरन ने पूरी योग्यता एवं कुशलता के साथ इसका निर्वाह किया है।

श्री दामोदरन ने प्राचीन चिन्तन परम्परा वेदों, उपनिषदों, चार्वाक, बौद्ध, एवं जैन धर्म दर्शन, सांख्य योग, वेदांत, मीमांसा, भगवद्‌गीता, विविध तंत्र प्रणालियों और इसके साथ ही आधुनिक चिन्तन धारा का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उन्होंने मार्क्सवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण से भारत के सामाजिक एवं दार्शनिक चिन्तन की वस्तुनिष्ठ व्याख्या की है।

इस पुस्तक में विविध दार्शनिक एवं चिन्तन प्रणालियों का सम्यक् विश्लेषण करने के साथ ही यह बताया गया है कि "दर्शन की ये विविध प्रणालियां महान विचारकों के विशुद्ध विचारों के रूप में ही अनिवार्यतः प्रकट् नहीं हुई हैं, वरन इनकी जड़ें यथार्थ में थीं। ये जड़ें आर्थिक तथा सामाजिक ढांचे में हो रहे वास्तविक परिवर्तनों में थीं। प्रत्येक दार्शनिक प्रणाली पर उस युग की गहरी छाप थी।"

यह पुस्तक सामान्य पाठकों के लिए भी अत्यंत उपादेय है और इससे भारतीय चिन्तन परम्परा का सम्यक् बोध हो सकेगा।□

कमलेश मिश्र

नवा-ए-आवारा : रचयिता : गुलाम रब्बानी 'ताबां', रूपांतर : प्रकाश पंडित, प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्ज़, कश्मीरी गेट, दिल्ली, पृष्ठ संख्या : 80, मूल्य : 15 रुपये।

यथार्थ में फलीभूत न हो सकने वाली भावनाएं और कामनाएं अधिकांश सेक्स यानी मान्य या अमान्य प्रेम संबंधों से जुड़ी होती हैं। तभी किसी साहित्यिक कृति या कलाकृति का एकमात्र नहीं तो एक प्रमुख स्वर अक्सर प्रेम या प्रणय का होता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह प्रवृत्ति अधिक है। और जहां तक उर्दू साहित्य का प्रश्न है इसमें तो शायद शुद्ध प्रेम या प्रणय को लेकर ही 90 प्रतिशत साहित्य रचा गया है। इश्क की तमाम शुरुआतों, अंदाजों और अंजामों को जिस बारीकी और विस्तार से उर्दू में अभिव्यक्ति दी गई है वैसा अन्यत्र नहीं है। किसी भी शायर की कोई सी शायरी उठा लीजिए, यह इत्तफाक ही होगा कि उसमें इश्क का पुट नहीं हो।

यह अच्छी और दिलचस्प बात है कि गुलाम रब्बानी 'ताबां' की शायरी मात्र ऐसे फार्मूलों पर नहीं लिखी गई है। उनकी शायरी का दायरा विभिन्न मानवीय संवेदनाओं को समेटे है।

गुलाम रब्बानी 'ताबां' अपनी साहित्यिक सेवाओं के लिए सोवियत लैंड अवार्ड से पुरस्कृत और पद्मश्री से अलंकृत हैं। प्रस्तुत पुस्तक 'नवा-ए-आवारा' भी उत्तर प्रदेश की उर्दू अकादमी और फिर साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित की गई है।

इस हिन्दी रूपांतर में मौलिक पुस्तक के शेरों के साथ ही तावां की चुनिंदा गज़लें भी सगृहीत हैं। सभी शेरों और गज़लों की पादटिप्पणियों में खास-खास उर्दू शब्दों का हिंदी अर्थ दिया गया है। इसके बावजूद उर्दू कम जानने वाले पाठकों को, प्रवाह नहीं बने रहने से, काव्य व शैली के श्रेष्ठ होते भी उतना मज़ा नहीं आए, यह मुमकिन है।

'उर्दू के लोकप्रिय शायर पुस्तकमाला' के अन्तर्गत छपी अन्य पुस्तकों की भांति 'नवा-ए-आवारा' और उसके लेखक का परिचयात्मक भूमिका प्रकाश पंडित ने लिखी है। □

हरीश बड़थ्वाल

राजिया रा दूहा : संग्राहक और अनुवादक : नरोत्तमदास स्वामी, प्रकाशक : सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या : 180, मूल्य : [illegible] रुपये।

दूहा-साहित्य राजस्थानी भाषा के काव्य-साहित्य का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और शृंगार, वीर, शांत, भक्ति, नीति आदि विषयों के भावपूर्ण दोहे काफी संख्या में उपलब्ध हैं। जो स्थान संस्कृत में अनुष्टुप श्लोक का और प्राकृत में गाथा का है वही स्थान उत्तरकालीन अपभ्रंश, राजस्थानी, गुजराती और हिन्दी में दोहे का है। बात को संक्षेप में और प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए दोहा बहुत ही उपयुक्त छंद है।

'राजिया रा दूहा' राजस्थानी भाषा और साहित्य की एक बहुत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कृति है। वहां के लोग इन दोहों को बात बात में कहावतों और सूक्तियों की भांति प्रयोग में लाते हैं। अत्यंत सरल-सुबोध भाषा में इसमें व्यवहार-नीति की बातें प्रभावोत्पादकता के साथ बताई गई हैं। कथन की सहजता और वर्णन की सादगी इन दोहों की प्रमुख विशेषताएं हैं।

प्रस्तुत पुस्तक की रचना के पीछे बड़ी उदात्त भावना है। इसके रचयिता खिड़िया शाखा के चारण किरपाराम थे जो सेखावाटी में सीकर के रावराजा देवी सिंह (1820–52) और उनके पुत्र लछमण सिंह (1852–90) के दरबार में रहते थे। राजिया किरपा राम का चाकर था। उसने कवि की इतनी अच्छी सेवा की कि कवि ने प्रसन्न होकर उससे कहा, "मैं तेरा नाम अमर कर दूंगा।" कवि ने इन दोहों की रचना की और इनके द्वारा राजिया का नाम सचमुच इस हद तक घर-घर में प्रसिद्ध कर दिया कि आज किरपाराम का नाम कुछ ही लोग जानते होंगे लेकिन राजिया का नाम अपढ़ लोगों के लिए भी अपरिचित नहीं है।

समय-समय पर इन दोहों के दस संस्करण प्रकाशित हुए लेकिन प्रस्तुत संस्करण की विशेषता यह है कि इसमें राजिया के दोहों की हस्तलिखित प्रति का उपयोग करने के साथ ही दोहे अकारादि-क्रम से दिए गए हैं। पहले दोहे का मूलपाठ उसके नीचे अन्वय सहित शब्दार्थ, भावार्थ और टिप्पणियां दी गई हैं। टिप्पणियों में पाठान्तर, अर्थान्तर, अन्य लेखकों के भाव-साम्य वाले पद्य, दोहे में उल्लिखित लोगों तथा स्थानों आदि के परिचय संकलित किए गए हैं। राजिया के दोहों की संख्या 500 बताई जाती है जिनमें से 170 के करीब उपलब्ध हैं। प्रस्तुत संग्रह में 161 दोहे हैं। निश्चय ही संग्राहक और अनुवादक ने बड़ा परिश्रम किया है। □

शम्भुनाथ मिश्र

कैसे कैसे सच : लेखक—विमल मित्र : प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्ज़, कश्मीरी गेट, दिल्ली, पृष्ठ संख्या : 77, मूल्य : दस रुपये।

प्रस्तुत उपन्यास में कथा वस्तु न होते हुए भी एक ऐसी कहानी साकार हो उठती है कि पाठक में बरबस प्यास जागती है। इस उपन्यास का कथानक मात्र इतना ही है कि लेखक को पूजा विशेषांक के लिए एक उपन्यास लिखना है पर कोई कथानक नहीं मिल पाता। इस समस्या का ज़िक्र वह अपने मित्र जहर से करता है। जहर उसे जो जो कथानक सुझाता है, लेखक कहता है कि इस पर उसकी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। तब जहर कहता है कि वह दूसरे दिन इस समस्या का हल सुझाएगा।

दूसरे दिन वह लेखक से कहता है कि क्यों न वह उसकी विगत ज़िन्दगी पर ही कृति रच दे। इस प्रकार यह उपन्यास जहर की ज़िन्दगी का एक दिलचस्प किस्सा है। इसमें जहर की कठिनाइयों भरा जीवन और एक प्रमुख घटना का तानाबाना है, जो इस उपन्यास को रोचक एवं पठनीय बनाता है। घटना इस प्रकार है। एक बार जहर ग्यारहवीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह बाहर चबूतरे पर लैम्प पोस्ट की रोशनी में पढ़ रहा था कि एक सुन्दर लड़की उसके पास आती है और उससे अनुरोध करती है कि रात काफी हो जाने के कारण वह अकेली पड़ गई है, अतः वह उसे बैठकपाड़ा पहुंचा दे। जहर बड़ी मुश्किल के लिए लिखा गया है लेकिन जहर की ज़िन्दगी का सच जैसे जैसे सामने आता है, पाठक में प्यास जागती जाती है।

प्रस्तुत उपन्यास का मूल बंगला से शम्भूनाथ पाण्डेय 'पुष्कर' ने अनुवाद किया है। अनुवाद में कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि मूल भाषा के साथ अन्याय किया गया हो। सीधी सादी भाषा और प्रवाह रचना विमल मित्र की अपनी विशेषता है, जो उन्हें पाठक से सीधा जोड़ती है।

प्रस्तुत कृति उपन्यास की श्रेणी में नयी शैली में लिखी गई है। □

—जगदीश कश्यप
डी-32, गली सिटी डाकघर
गाज़ियाबाद-201001

केन्द्र के समाचार

भूमि और जल प्रबन्ध के बाद अच्छी पैदावार

भूमि और जल प्रबन्ध की मार्गदर्शी परियोजनाओं पर जारी की गई मूल्यांकन रिपोर्ट से पता चला है कि रबी के मौसम में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने से सभी प्रकार की पैदावार में वृद्धि हुई है तथा इससे लाभान्वित किसानों को दुधारू पशु, सुधरे कृषि उपकरण प्राप्त करने में भी मदद मिली है।

मूल्यांकन अध्ययन में, खेतों में अच्छी तरह से पानी पहुंचाने के कार्य में दक्षता प्राप्त करने, फसलों को वैज्ञानिक ढंग से पानी देने तथा ऐसी फसल प्रणाली अपनाने, जिससे किसानों को अत्यधिक लाभ मिले इसके लिए भूमि और जल प्रबन्ध की समस्या के बारे में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के महत्व को स्वीकारा गया है।

भूमि और जल प्रबन्ध परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाले किसानों ने पर्याप्त मात्रा में नहरी पानी उपलब्ध होने के कारण नहरी पानी से सिंचाई करनी शुरू कर दी है तथा सिंचाई प्रधान फसलों को अपना लिया है। उन्होंने अधिक ऊपज देने वाली किस्मों तथा व्यापार की दृष्टि से लाभदायक कुछ फसलों की मात्रा बढ़ानी भी शुरू कर दी है। इस प्रकार कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आरम्भ हो रही है।

अधिकांश परियोजनाओं में लाभान्वित लोगों को प्राप्त रोजगारों के अवसरों में वृद्धि हुई है।

इनमें से कुछ परियोजना—क्षेत्रों में, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने तक चल रहे भूमि सुधार कार्यक्रमों ने भूमि का मूल्य बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अध्ययन से जिन कुछ मुख्य कमियों का पता लगा वे इस प्रकार हैं :—

1. ऐसा लगता है कि कृषि और सिंचाई मंत्रालय द्वारा न तो कोई योजनाबद्ध बजट बनाया गया है और न ही विकास कार्य और स्थापना होने वाले व्यय के बारे में आवश्यक मार्ग-निर्देश ही बनाए गए हैं।

2. मार्गदर्शी परियोजनाओं पर होने वाले कुल व्यय में से विकास कार्यों पर होने वाले व्यय का प्रतिशत भिन्न-भिन्न है और यह केवल 19.41 से 41.88 प्रतिशत के बीच है। सभी परियोजनाओं में कर्मचारियों पर होने वाले खर्च की मात्रा विकास पर होने वाले खर्च से अधिक है।

3. योग्य और अनुभवी कर्मचारियों की नियुक्ति में विलंब होने से निर्धारित अवधि में काम पूरा करने पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। इस कारण लगभग सभी मामलों में परियोजनाओं की निश्चित अवधि भी बढ़ानी पड़ी है। अधिकारियों के बार-बार होने वाले तबादलों से परियोजनाओं के काम में निरन्तर बाधा उत्पन्न हुई तथा निश्चित समय में कार्य पूरा होने में विलम्ब हुआ।

4. हालांकि सिंचाई की मात्रा में वृद्धि हुई परन्तु इस क्षमता का उपयोग उस स्तर तक नहीं हो सका जहां तक होना चाहिए था।

5. आयकर के लिए सबसे उपयुक्त प्रणाली निश्चित करने, भूमि को समतल करने तथा जल वितरण और निकासों के बाद नालियों के निश्चित आकार के लिए योजनाएं बनाने हेतु विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण करने की आवश्यकता को सभी परियोजना अधिकारियों ने स्वीकार किया।

इस क्षेत्र में सबसे उपयुक्त फसल प्रणाली अपनाने हेतु किसानों को सुझाव देने के लिए चुने हुए मार्गदर्शी परियोजना क्षेत्रों में अभी तक कोई अनुसंधान कार्य नहीं हुआ है।

6. कुछ परियोजना क्षेत्रों में "खेतों में विकास कार्यों" के बारे में कोई ऐसी विशेष नीति नहीं अपनाई गई लगती जिसे कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण को उसके क्षेत्र में व्यापक रूप से अपनाने की सिफारिश की जाए।

7. अनेक परियोजना क्षेत्रों में उपयुक्त जल वितरण प्रणाली के अभाव तथा अपर्याप्त जल-निकास सुविधाओं के फलस्वरूप जलाप्लावन और भूक्षरण हुआ है। अनेक परियोजना क्षेत्रों में परियोजना अधिकारियों द्वारा निर्मित कार्यों के रख-रखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

8. परियोजना कार्यकलापों की समय-समय पर समीक्षा तथा उपयुक्त देखभाल में भी कमी पाई गई।

सस्ता और कारगर हाथपम्प

अनुसंधान केन्द्र कृषि इंजीनियरिंग कालेज कोयम्बतूर द्वारा एक सस्ते दाम का हाथ पम्प विकसित किया गया है।

यह पम्प 1.2 मीटर की गहराई पर लगाने से 4,750 से 5,000 लिटर प्रति घंटा पानी फेंकता है और 2.4 मीटर गहरा लगाने से 1,700 से 1,900 लिटर पानी देता है, जबकि इंडिया मार्क 2 हाथ पम्प इतनी ही गहराइयों पर 1,500 से 1,700 लिटर पानी प्रति घंटा निकालता है।

ग्रामीण दस्तकार भी इस पम्प को तैयार कर सकते हैं। इस में कभी-कभी चमड़े का वाशर बदलने की जरूरत पड़ती है। इस पम्प को खुले में और नलकूप पर लकड़ी के सहारे लगा सकते हैं।

इस पम्प को एक आदमी चला सकता है। जरूरत के मुताबिक इस पम्प को ऊंचा-नीचा किया जा सकता है। यह ज्यादा से ज्यादा 8.5 मीटर की गहराई से पानी खींच सकता है। इसको गहरे कुओं से पानी निकालने के लिए भी सुधारा जा सकता है।

बायोगैस संयंत्र

ऊर्जा की पूरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए देश में लगभग 80,000 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं और छठी योजना में बड़े पैमाने पर बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के कार्यक्रम की कल्पना की गई है।

केन्द्रीय योजना के कृषि क्षेत्र में बायोगैस कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता और सहायक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग इस वर्ष देश के विभिन्न भागों में 21 सामुदायिक बायोगैस संयंत्र स्थापित करेगा इनमें से अधिकांश संयंत्र संभवतः चालू वित्त वर्ष के अन्त तक काम करना शुरू कर देंगे। अधिकांश संयंत्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे ताकि ग्रामीणों को ईंधन, खाद, पम्प सेटों के चलाने के लिए बिजली, ऊर्जा और कृषि औजार आदि प्रदान करके उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके।

इसके साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं में विविधता लाने, संयंत्रों की लागत को कम करने, स्थानीय निर्माण सामग्री का उपयोग करने, सूक्ष्म जीव विज्ञान अनुसंधान करने, गैस की वितरण प्रणाली तैयार करने और बढ़िया किस्म के यंत्रों का विकास करने पर भी विभाग कार्य कर रहा है।

सिंचाई के लिए धन का प्रावधान

राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा हाल ही में स्वीकृत छठी पंचवर्षीय योजना [1980-85] में सिंचाई तथा कमान क्षेत्र विकास के लिए 11,114 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 8,448 करोड़ रुपये तथा छोटी परियोजनाओं के लिए 1,810 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जबकि पांचवीं योजना में इन्हीं परियोजनाओं के लिए 3,095 करोड़ रुपये तथा 792 करोड़ रुपये का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त छोटी सिंचाई के विकास के लिए 1,700 करोड़ रुपये की राशि संस्थानिक साधनों द्वारा उपलब्ध होने की संभावना है।

छोटी सिंचाई परियोजनाओं में सतही जल योजनाओं के अतिरिक्त भूमि जल विकास पर अधिक बल दिया जायेगा। इसके उचित उपयोग के लिए केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड उपलब्ध भूमिजल संभावनाओं का पता लगाने के लिए क्रमबद्ध जल भूगर्भ सर्वेक्षण करा रहा है। कुल 28.8 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में से अभी 16 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में ही ऐसे सर्वेक्षण कराए गए हैं। 1985 के अंत तक 6.6 लाख वर्गमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाएगा।

छठी योजना में 12 लाख कच्चे कुएं, 12 लाख निजी ट्यूबवैल, 15,000 सार्वजनिक ट्यूबवैलों के निर्माण का और 25 लाख सिंचाई पम्पसेटों को क्रियाशील करने का विचार है। 1980-81 में इनमें से दो लाख कच्चे कुएं, 204 लाख निजी ट्यूबवैल अ 3310 सार्वजनिक ट्यूबवैलों का निर्माण और चार लाख पम्पसेटों को क्रियाशील बनाया जा चुका है। इस तरह से अब तक भूमिजल विकास के अन्तर्गत 798 लाख कच्चे कुएं, 235 लाख निजी ट्यूबवैल, 39,600 सार्वजनिक ट्यूबवैलों का निर्माण और 435 लाख पम्पसैटों को क्रियाशील बनाया जा चुका है।

रबड़ की खेती

परम्परागत और गैर-परम्परागत दोनों क्षेत्रों में, जिनमें गोवा, महाराष्ट्र तथा अन्य राज्य शामिल हैं, रबड़ की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने एक रबड़ बागान विकास योजना बनाई है। 1980-81 से 1984-85 की अवधि के दौरान गैर-परम्परागत राज्यों में रबड़ की खेती शुरू करने के उद्देश्य से असम और त्रिपुरा, प्रत्येक राज्य में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र, गोवा और महाराष्ट्र में 3000 हेक्टेयर क्षेत्र और अन्य राज्यों में 500 हेक्टेयर क्षेत्र में रबड़ की खेती करने का प्रस्ताव है। गत तीन वर्षों के दौरान गैर-पराम्परागत राज्यों में रबड़ का कुल अनुमानित उत्पादन बहुत ही कम था और यह प्रतिवर्ष 200 टन से भी कम रहा।

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदर्शन केन्द्र

छठी योजना के दौरान गुजरात (अहमदाबाद), कर्नाटक (बंगलौर), केरल (त्रिवेन्द्रम) और असम (गोहाटी) में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश (कसौली) पश्चिमी बंगाल (मुर्शिदाबाद), तमिलनाडु (कोडाइकनाल), पश्चिमी बंगाल (आसनसोल), आन्ध्र प्रदेश (विजयवाड़ा), उड़ीसा (कटक), गोवा, दमन और दीव (पणजी) और उत्तर प्रदेश (वाराणसी) में रिले ट्रांसमीटर लगाने का भी प्रस्ताव है। इन दूरदर्शन केन्द्रों से उक्त नगरों के आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्यक्रम देखे जा सकेंगे।

भारतीय उपग्रह योजना (इनसैट) के अन्तर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों मे दूरदर्शन सेवाओं के विस्तार की योजना तैयार की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत जिन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, वह योजना की स्वीकृति, संसाधनों की उपलब्धता और संबंधित प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगी।

1980-85 के दौरान, मध्य प्रदेश में रायपुर में कार्यरत दूरदर्शन ट्रांसमीटर के लिए एक कार्यक्रम निर्माण केन्द्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

पशु तथा डेयरी विकास

हमारे गांवों की अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन की नजर से भूमि के बाद गाय तथा भैंस आदि मवेशियों का सबसे अधिक महत्व है। अतः छठी योजना में 1980-81 से गोपशु तथा भैंस के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना शुरू की जा रही है इससे छठी योजना के अन्त में दूध का उत्पादन 300 लाख टन से बढ़कर 380 लाख टन हो जाएगा और समाज के कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

1980-81 के दौरान सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्रों में चालू डेयरी संयंत्रों की कुल संख्या 190 से बढ़कर 197 हो गई। डेयरी संयंत्रों से औसत दैनिक उत्पादन में भी वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष के 62 लाख लिटर के उत्पादन से बढ़कर 69 लाख लिटर हो गई। दूध का पाउडर तथा बच्चों के लिए दूध वाले आहार का कुल उत्पादन भी पिछले वर्ष के 68,000 लाख टन से बढ़कर 1980-81 के दौरान लगभग 74,000 लाख टन हो गया। □

लघुकथा

जब हिम्मत साथ होती है

—कुलदीप जैन

गांव के सरपंच चौधरी को जब पता चला कि डाकुओं ने गांव को चारों ओर से घेर लिया है तो उसका खून खौल उठा। पिछली बार भी ये डाकू ऐन मौके पर आए थे जबकि भोला किसान की लड़की का विवाह हो रहा था। सब कुछ लूट ले गये थे बेचारे का। पुलिस दूसरे दिन ही गांव में पहुंच सकी थी जबकि डाकू तीन-चार घण्टों में ही उस इलाके की सीमा से बहुत दूर जा चुके थे।

इस बार सरपंच चौधरी की लड़की की शादी थी। पुलिस को कौन खबर करने जाये—यही सबके सम्मुख अहम विषय था। बी० ए० में पढ़ने वाला चौधरी का लड़का वहीं था, वह तुरन्त ही जाने को तैयार हो गया पर चौधरी ने न जाने दिया क्योंकि वह जानता था कि उसका लड़का तो क्या कोई कुत्ता भी गांव से बाहर निकलकर नहीं जा सकता था। डाकुओं का निशाना बड़ा अचूक होता है।

कालिजिएट लड़का अपने कालेज में छात्र यूनियन का सैक्रेटरी था। अतः उसने इन बातों को कायरता समझा और दीवार से रायफल उतारकर बाहर निकल गया।

जब डाकुओं ने चौधरी को खबर भिजवाई कि उनका लड़का रायफल सहित उनकी गिरफ्त में है तो चौधरी के हाथ-पांव फूल-से गए। वह अपनी पुश्तैनी तेल पिलाई लाठी लेकर निकला। कहां तो सारे घर में गीत-मंगल गाये जा रहे थे और कहां अब ये खौफनाक वातावरण।

चौधरी को लाठी लिए आता देख डाकुओं के सरदार को अचम्भा तो हुआ ही, उससे ज्यादा चौधरी की बेवकूफी पर हंसी आई।

चौधरी अपनी पूर्व योजना के साथ काम करना चाहते थे, अतः इस साहसिक कदम के अन्तर्गत उसने डाकुओं के सरदार को ललकारा—"ठाकुर, बन्दूक के बल पर तो टी० बी० का मरीज भी शेर बन सकता है, अगर तुझमें कुछ भी मर्दानगी है तो आ लाठी से मुकाबला कर। इस गांव में घुसने से पहले तुझे मेरी लाश से गुजरना होगा।"

डाकू सरदार के लिये यह खुला चैलेंज था। वह भी एक लाठी मांगकर मैदान में आ गया। दांवपच शुरू हो गए पटापट और खटाखट लाठियां चलीं। इस रोमांचक दृश्य में सभी मग्न हो गए।

घण्टे भर में ही पुलिस का सायरन बजता सुनाई दिया। डाकू घबरा गए और पोजीशन सम्भालने लगे। दोनों ओर से गोलियां चलीं। इस मुठभेड़ में चार डाकू मारे गए। दो को छोड़ सभी पकड़ लिए गए।

चौधरी की लड़की का विवाह धूमधाम से सम्पन्न हुआ।

—सी-48/2 बी, चौहान बांगर,
सीलमपुर, दिल्ली-110053

हंसने की बात

पूरन सरमा

हंसता है मौसम
हंसने की बात
बांट रहा सबको
खुशी की सौगात
गुम्फित है हंसने में
हंसने का राज
मौसम ने बांधा है
खुशियों का ताज
बागों में सज रहा
फूलों का पांत

बातों में बीत जाते
दिन और रात
हंसते हैं होंठ तो
मिलते हैं मीत
हंसती हैं आंख तो
पलती है प्रीत
दर्द सारे हंसने से
खा जाते मात
आओ भर लें हंसने से
मन की बारात

आप हंसते धीरे से
आंखें झुका
एक पल को समय का
पहिया रुका
कभी-कभी हंसी भी
कर जाती घात
आप की हंसी की
क्या कहें बात
हंसता है मौसम
हंसने की बात।

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा
प्रकाशित और प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित